मेक इन इंडिया

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

62वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

हि इ लि

समृद्धि हेतु सुरक्षा

इंडिया कैम 2016 में एच.आई.एल

माननीय उद्योग मंत्री, बांग्लादेश और माननीय रसायन और उर्वरक एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अनन्त कुमार, श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), एच.आई.एल और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 01.09.2016 को इंडिया कैम 2016 मुम्बई में एच.आई.एल के स्टॉल का उद्घाटन करते हुए।

बी टी–सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार

माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री अनन्त गीते, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के कर–कमलों से श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), एच.आई.एल दिनांक 14.07.2016 को ब्यूरोक्रेसी टुडे–उत्कृष्टता कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पुरस्कार (बीटी–सीएसआर एक्सीलेंस अवॉर्ड) प्राप्त करते हुए।

उद्योगमण्डल यूनिट को सुरक्षा पुरस्कार

श्री के. बाबू, माननीय मत्स्योद्योग, पोर्ट एवं उत्पाद मंत्री, केरल सरकार से उद्योगमण्डल यूनिट प्रमुख श्री एम. एस. अनिल एवं श्री नटराजन पी.आर., सुरक्षा प्रबन्धक एवं अन्य अधिकारीगण दिनांक 04.03.2016 को सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

निदेशक मंडल की संरचना

श्री एस.पी. मोहन्ती
निदेशक (विपणन) व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री समीर कुमार बिश्वास
सरकारी निदेशक

श्री दिनेश कुमार
सरकारी निदेशक

श्री वी0 मुराली
स्वतंत्र निदेशक

श्री भरत विदुरभाई भगत
स्वतंत्र निदेशक

डॉ0 सी.वी. जयामनी
स्वतंत्र निदेशक

श्री ओमप्रकाश मित्तल
स्वतंत्र निदेशक

समृद्धि हेतु सुरक्षा

वरिष्ठ प्रबंधन

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री डी. प्रवीन

निगमित कार्यपालक

श्री जी. नाथ, महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
श्री आनन्द एस. शर्मा, उप महाप्रबन्धक (विपणन–कृषि रसायन, उर्वरक एवं जन स्वास्थ्य)
श्री सुजीत कुमार, उप महाप्रबन्धक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
श्री अनिल यादव, उप महाप्रबन्धक (विपणन–बीज एवं संबंधित उत्पाद)

यूनिट प्रमुख

श्री डी.वी. गोधने, यूनिट प्रमुख, रसायनी यूनिट
श्री एम.एस अनिल, यूनिट प्रमुख, उद्योगमण्डल यूनिट
श्री पी.डी. संकपाल, यूनिट प्रमुख, बठिंडा यूनिट

कम्पनी सचिव

श्री रूपेन्द्र धीमान

लेखा परीक्षक

मैसर्ज एस.एस.ए.आर एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली
मैसर्ज ए.पी. राजगोपालन एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल मुम्बई
मैसर्ज अब्राहम थॉमस एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, कोच्चि
मैसर्ज बंधोपाध्याय एण्ड दत्त, सनदी लेखापाल, कोलकाता

बैंकर

बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय मंजिल, कोर–6, स्कोप कॉम्पलैक्स,
7, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय मित्रों,

कंपनी की 62वीं वार्षिक आम सभा बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की निदेशक की रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर सीएजी की टिप्पणियां आपको पहले ही परिचालित की जा चुकी है और आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा हुआ मान रहा हूँ।

इस अवसर पर, मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि श्री दिनेश कुमार, निदेशक, रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग ने दिनांक 30.05.2016 को कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के पद पर तथा श्री ओम प्रकाश मित्तल, डॉ. सी.वी. जयमणि और श्री भरत विदुरभाई भगत ने दिनांक 15.06.2016 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मुझे विश्वास है कि कंपनी को उनके विविध और विशद अनुभव से काफी लाभ मिलेगा और इससे कंपनी को और बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद मिलेगी। स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति से कंपनी में निगमित शासन की ठोस पद्धतियां विकसित करने में भी मदद मिलेगी।

जैसा कि आप जानते हैं कि एच.आई.एल ने जन स्वास्थ्य और फसल संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आपके निदेशकों ने मार्किट की गतिशीलता और किसानों की आवश्यकता को पहले से ही भांप लिया था और कंपनी ने वर्ष 2012–13 में बीज का उत्पादन और विपणन सफलतापूर्वक आरम्भ किया तथा किसानों की मांग को पूरा करने के लिए कृषि आदानों की मांग को एक ही स्थान पर पूरा करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी गत वित्तीय वर्ष के दौरान उर्वरक बिजनेस में भी विविधता लाई, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कंपनी को आयात एजेंसी का दर्जा दिया है। यह प्रशंसनीय है कि एच.आई.एल ही केवल एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो कृषि समुदाय के लिए तीन क्षेत्रों अर्थात कृषि रसायन, बीज और उर्वरकों की एक पूर्ण बास्केट प्रदान करता है।

जन स्वास्थ्य क्षेत्र में, एच.आई.एल राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए डी.डी.टी. का निर्माण और आपूर्ति कर रहा है। कंपनी देश में वेक्टर जनित रोग विशेष तौर पर मलेरिया और काला–जार के नियंत्रण के लिए एक मुख्य भूमिका निभाती है। देश की आबादी के लगभग 95% लोग मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं और देश में मलेरिया सूचित आंकडों में 80% जनसंख्या आदिवासी, पहाड़ी, कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में रहती है। एक मुख्य वेक्टर नियंत्रण उपाय के रूप में डी.डी.टी. के प्रयोग से देश में मलेरिया के मामले 75 मिलियन से घटकर वर्तमान में 1.08 मिलियन तक रह गए हैं।

सरकार ने वर्ष 2017 तक काला–जार को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और डी.डी.टी. एक महत्वपूर्ण वेक्टर नियंत्रण मध्यवर्त है क्योंकि यह महामारी प्रभाव को 25–30% प्रभावित करती है।

एच.आई.एल ने अफ्रीका को डी.डी.टी. का निर्यात करके वहां पर मलेरिया को रोकने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व में मलेरिया से लड़ने के लिए एक मुख्य प्रभावी हथियार के रूप में डी.टी.टी. पर नए सिरे से ध्यान देकर एच.आई.एल एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपने आप को पाता है। वर्ष 2015–16 में एच. आई.एल ने ज़िम्बावे, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका आदि जैसे देशों को 374.052 मी.ट. डी.डी.टी. का निर्यात किया है।

हालाँकि एच.आई.एल, डीडीटी की प्रभावकारिता के बारे में संतुष्ट है, लेकिन वह डीडीटी का विकल्प भी ढूंढ़ रहा है। कंपनी ने रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के साथ पहले ही डीडीटी जैव–अवक्रमण विकल्प का विकास करने के लिए अनुबंध कर लिया है जिसका प्रयोग आंतरिक अपशिष्ट छिड़काव के रूप में किया जा सकता है। एच.आई.एल, ने केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), चेन्नई की मदद से कीटनाशी उपचारित नेट का विकास किया है और इसके निदेशक मण्डल ने एच.आई.एल की रसायनी यूनिट में एलएलआईएन निर्माण सुविधा केन्द्र की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जन स्वास्थ्य पर नए सिरे से ध्यान देने और मलेरिया लेइशमानिएसिस आदि की व्याप्तता को कम करने के लिए कंपनी महसूस करती है कि शुरू की गई सभी पहलों से एच.आई.एल वेक्टर नियंत्रण पर अत्यधिक बल देते हुए एक प्रमुख कंपनी के रूप में उभरेगी।

खड़ी फसलों की सुरक्षा पर एच.आई.एल. ग्रामीण भारत में उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त कीटनाशी की आपूर्ति करता है। बाज़ार में जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों से नकली उत्पादकों तक के उत्पादक हैं, वहां एच.आई.एल. ने स्थिर मूल्यों के साथ एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अपना स्थान बनाया है ताकि किसान बेईमान उत्पादकों द्वारा चलाए जा रहे मिथ्या प्रोत्साहनात्मक अभियानों से प्रभावित न हों। एच.आई.एल. कई प्रजातिगत कीटनाशी के संबंध में मूल्य स्थिरीकरण की भूमिका भी निभाता है। यह जाना जाता है कि कई बाजार से वापसी कर लेते हैं, क्योकि उनके प्रतिलाभ लक्षित प्रतिशतता से कम हो जाते हैं, जबकि एच.आई.एल. दामों में संतुलन रखते हुए कृषि रसायनों की दीर्घावधि आपूर्तिकर्ता के रूप में आपूर्ति जारी रखता है।

आपकी कंपनी ने नए अणुओं के लिए बाज़ार की मांग को पूरा करने के लिए नए उत्पादों के लिए विनिर्माणन सुविधाएं स्थापित करने के लिए पहले ही कार्य आरम्भ कर दिया है। रसायनी यूनिट में बहुउत्पाद संयंत्र – बुपरोफेज़िन संयंत्र तथा इसी प्रकार

इमिडाक्लोप्रिड और क्लोरोपायरीफॉस का वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है। उद्योगमण्डल में पेंडीमेथलीन का उत्पादन करने के लिए संयंत्र शीघ्र ही लगने वाला है।

शाकनाशी की बढ़ती मांग को देखते हुए फसल उत्पादन को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए एच.आई.एल ने ग्लाईफोसेट शुरू किया है और फंगसनाशी के मामले में, मैंकोजेब निर्माण क्षमता दुगुनी की जा रही है।

बीज का उत्पादन एवं विपणन आपकी कंपनी का एक महत्वपूर्ण कारोबार है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, एच.आई.एल. के बीज उत्पादन/ विपणन कारोबार में गत वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एक प्रमुख कार्यक्रम तिलहन और ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (एन एम ओ ओ पी) के तहत एच आई एल किसानों को तिलहन की अधिक उपज देने वाली किस्में वर्ष 2014–15 में की गई 15,775 किट की तुलना में 55,763 बीज मिनिकिट की आपूर्ति करने में सक्षम हुई, कंपनी ने यह आपूर्ति गत वर्ष की तुलना में लगभग 253% की एक अभूतपूर्व वृद्धि के साथ की। आपकी कंपनी अपने बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य प्रक्रिया में है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान गत वर्ष के 37 करोड़ रू0 के बीज कारोबार की तुलना में वृद्धि करके 42.00 करोड़ रू0 का कारोबार किया है। बीज के क्षेत्र में, एच.आई.एल. ने भारतीय किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आई. सी.आर.आई.एस.ए.टी द्वारा विकसित मूंगफली किस्मों के प्रजनक बीज और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी के साथ मिलकर कार्य किया है।

उर्वरकों की आपूर्ति के लिए एच.आई.एल और एन.एफ.एल –एच.आई.एल की ओर से श्री समीर कुमार बिश्वास, तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और संयुक्त सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय साथ में श्री एस.पी. मोहन्ती, निदेशक (विपणन) और एन.एफ.एल की ओर से श्री मनोज मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करते हुए।

कंपनी ने उर्वरक कारोबार में विविधता लाकर, बिहार, ओड़िशा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में अपने डीलरों की माँग को पूरा करने के लिए पी.एस.एस.पी और जी.एस.एस.पी की (व्यापार आधारित) आपूर्ति करने के लिए स्थानीय एस.एस.पी विनिर्माताओं के साथ समझौते का ज्ञापन (एम.ओ.यू) किया है। कंपनी ने पूर्वी क्षेत्रों में नीम कोटेड यूरिया और एन.पी.के की आपूर्ति करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (एन.एफ.एल) और राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स (आर.सी.एफ) के साथ समझौते का ज्ञापन हस्ताक्षर किया है और मार्च, 2016 में लगभग 7 करोड़ रू0 का कारोबार किया है।

मुझे यह सूचित करते हुए अत्यन्त खुशी है कि आपकी कंपनी ऐसी स्थिति में भी अपनी टर्नऑवर स्थिर रखने में कामयाब रही, जब की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले डी.डी.टी. के ऑर्डर में बहुत बड़ी कमी हुई है और गत वित्तीय वर्ष के 339.90 करोड़ रू0 की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान 334.75 करोड़ रु0 का टर्नऑवर प्राप्त किया, तथापि यह विचारणीय है कि आपकी कंपनी ने गत वर्ष के 17.30 करोड़ रु0 की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान मूल्यह्रास और ब्याज़ के प्रावधान से पूर्व 19.91 करोड़ रु0 के सकल लाभ में वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का निवल मूल्य गत वर्ष के 92.56 करोड़ रु0 की तुलना में बढ़कर 93.55 करोड़ रु0 हो गया है। यह भी विचारणीय है कि एच.आई.एल ने गत वर्ष के 26.99 करोड़ रु0 की तुलना में वर्ष 2015–16 में 28.66 करोड़ रु0 का सर्वाधिक निर्यात किया है।

आपकी कंपनी अपने मानव संसाधनों को अपनी सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों में से एक मानती है। कंपनी में उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, एच.आई.एल कर्मचारी के जीवनचक्र के सभी पहलुओं पर ध्यान देता है। कर्मचारियों को विभिन्न कौशल विकास और स्वैच्छिक कार्यक्रमों के जरिए प्रेरित किया जाता है। कंपनी ने 30.05.2016 को कृषि–रसायन और बीज प्रभाग में उत्कृष्ट विपणन निष्पादकों को पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने आमने– सामने बातचीत करने जैसे विभिन्न संचार चैनलों के जरिए प्रभावी बातचीत की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फीडबैक संगत विभागों तक पहुंचे। आंतरिक बैठकें और प्रशिक्षण सत्रों की भी व्यवस्था की जाती है ताकि कर्मचारियों को सम्मिलित करके उनका विकास किया जा सके और विचार और अभिनवता प्राप्त की जा सके।

गंगटोक, सिक्किम में दिनांक 13.05.2016 को आयोजित वार्षिक समीक्षा बैठक 2016 में विपणन प्रभाग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को पुरस्कार देते हुए।

एच.आई.एल ने व्यवसाय कार्यकलापों की शीघ्र और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए तथा इनमें पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी में सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में सैप का निरंतर समेकन किया है। यूनिटों और कार्यालयों में कर्मचारियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी लीजड लाइन/ब्राडबैंड के जरिए उपलब्ध कराई गई है। कंपनी की सभी यूनिटों और क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों में ईआरपी के सभी मॉड्यूल

सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, एच.आई.एल आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थायी ढंग से अपने व्यवसाय का प्रचालन करने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर व्यापक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है और ऐसे कार्यक्रमों को समाज के व्यापक हित में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया जाता है। सीएसआर कार्यकलाप के प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। आपकी कंपनी भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के लिए शुरू ''स्वच्छ भारत मिशन'' के साथ भी निरंतर जुड़ी हुई है।

स्वच्छ भारत अभियान में एच.आई.एल. की सहभागिता

कॉरपोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए, आपकी कंपनी कॉरपोरेट शासन के उच्चतम मानकों को अपनाने, प्रचालन के सभी क्षेत्रों में जवाबदेही, प्रभावकारिता, जिम्मेदारी और निष्पक्षता का उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अनुसार कॉर्पोरेट शासन के सभी मानकों का अनुपालन कर रही है। कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण अलग–अलग संलग्न की गई है। कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों से आचरण संहिता पुष्टि विधिवत प्राप्त हो गई है।

एच.आई.एल ने राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधान लागू करने के लिए पूर्ण प्रयास किया है। कर्मचारियों और किसानों के लिए प्रचार सामग्री और साहित्य हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाता है। आपकी कंपनी की वेबसाइट भी द्विभाषी में उपलब्ध है। कंपनी की उद्योगमण्डल यूनिट को उत्कृष्ट सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ है और कोच्चि टॉलिक से राजभाषा के उत्तम निष्पादन के लिए भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुझे यह बताते हुए प्रशंसा हो रही है कि वर्ष के दौरान केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हिन्दी टंकण और हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में कंपनी की उद्योगमण्डल यूनिट के एक कार्मिक को प्रथम तथा रसायनी यूनिट के एक कार्मिक को हिन्दी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

मुझे यह बताने में हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कंपनी को कई अन्य मान्यताऐं और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जैसे अपने उत्कृष्ट निष्पादन के लिए ब्यूरोक्रेसी टूडे–उत्कृष्ट कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पुरस्कार (सीएसआर एक्सीलेंस अवॉर्ड), 2016, जो माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री अनन्त गीते, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया और यह पुरस्कार कौशल भारत–व्यावसायिक कौशल बढ़ाने की श्रेणी में दिया गया है। फिक्की इंडिया केम–2016 द्वारा कंपनी को जनता की धारणा को बदलने के लिए सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। एच.आई.एल. को टाइम्स एसेंट द्वारा नव प्रवर्तनशील, एच.आर. प्रेक्टिस के लिए शीर्ष 50 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल होने पर पुरस्कार प्रदान किया गया है। एच.आई.एल. को फेम उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 का भी विजेता घोषित किया गया है और राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान पर सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर एच.आई.एल को ''सिल्वर अवॉर्ड'' प्राप्त हुआ है।

मुझे माननीय शेयर धारकों को भी यह बताने में हर्ष हो रहा है कि आपके अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को तमिलनाडु और असम के माननीय पूर्व राज्यपाल द्वारा भारत ज्योति जैसे कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार और अन्य उच्च पदाधिकारियों द्वारा हिन्दी ''गौरव पुरस्कार'' प्रदान किया गया है।

अगले वित्तीय वर्ष और आशावादी विचारधारा को देखते हुए आपकी कंपनी मुख्यतः अपने लाभ में सुधार करने पर ध्यान देगी। हमारे सामने आने वाली अप्रत्याशित चुनौतियों से हमारे कौशल, दक्षता और अनुभव का बेहतरीन उपयोग करके निपटा जाएगा। हमने विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क के जरिए एक लाख टन उर्वरक वितरण की आपूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके बाद इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। उर्वरक क्षेत्र के अलावा, अन्य क्षेत्रों की बिक्री भी बढ़ेगी और एच. आई.एल 2020 तक जन स्वास्थ्य, कृषि रसायनों, बीजों और उर्वरकों के सभी क्षेत्रों सहित 900 करोड़ रुपए से अधिक टर्न ऑवर वाली कंपनी बन सकती है।

मैं प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए, सी.ए.जी और सभी शेयर धारकों–ग्राहकों, निदेशकों और कार्मिकों को कंपनी की स्थिति को मज़बूत बनाने के लिए उनके द्वारा निरंतर किए गए समर्थन, दृढ़ विश्वास और अथक प्रयासों के लिए हार्दिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

आप सभी का धन्यवाद।

भवदीय,

हस्ता./–

एस.पी. मोहन्ती

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांकः– 29.09.2016

स्थानः नई दिल्ली

Events & Awards

श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक(अतिरिक्त प्रभार) महोदय गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्योमण्डल यूनिट में कार्मिकों को संबोधित करते हुए।

श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान पर सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए''सिल्वर अवॉर्ड'' – फेम उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 प्राप्त करते हुए।

श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को फिक्की इंडिया केम–2016 द्वारा कंपनी को जनता की धारणा को बदलने के सराहनीय कार्य के लिए श्री अनुज कुमार बिश्नोई सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों सहित कंपनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर 62वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. वित्तीय निष्पादनः

कंपनी ने 334.75 करोड़ रूपये (गत वर्ष 339.90 करोड़ रूपये) की कुल बिक्री दर्ज की है तथा मूल्यह्रास तथा ब्याज के प्रावधान से पूर्व 19.91 करोड़ रू0 सकल लाभ (गत वर्ष 17.30 करोड़ रू0 सकल लाभ) दर्ज किया है। मूल्यह्रास, ब्याज तथा करों के प्रावधान के पश्चात वर्ष के लिए निवल लाभ 1.83 करोड़ रू0 है (गत वर्ष निवल लाभ 1.60 करोड़ रू0)। वर्ष के दौरान कंपनी को डी.डी.टी. के आर्डर, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त होते हैं, में भारी कमी हुई, जिसके फलस्वरूप कंपनी के टर्न ऑवर में कमी आई। चालू वर्ष में वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2015-16	
सकल लाभ (मूल्यह्रास ब्याज, कर से पूर्व लाभ)	**19.91**	17.30
घटाइएः मूल्यह्रास	**4.96**	5.02
ब्याज	**12.64**	10.24
कर से पूर्व लाभ	**2.31**	2.04
आयकर	**0.48**	0.44
वर्ष के लिए निवल लाभ	**1.83**	1.60
जोड़िएः (हानि)/लाभ अग्रानीत	**1.23**	0.46
घटाइएः गत वर्ष एम.ए.टी/मूल्यह्रास	**0.84**	0.83
लाभ अग्रेनीत	**2.22**	1.23

वर्ष के दौरान कंपनी का निवल मूल्य गत वर्ष के 92.56 करोड़ रू0 की तुलना में बढ़कर 93.55 करोड़ रू0 हो गया है।

2. उत्पादन निष्पादन

गत वर्ष के 14407 मी0ट0/कि0ली0 उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष में 11322 मी.ट/कि.ली. उत्पादन हुआ।

3. बिक्री निष्पादन

वर्ष के दौरान कंपनी ने 334.75 करोड़ रू0 की बिक्री की।

4. निर्यात

कंपनी ने गत वर्ष के 26.99 करोड़ रू0 के निर्यात की तुलना में इस वर्ष 28.66 करोड़ रू0 का निर्यात किया।

5. लाभांश

वर्ष 2015–16 के दौरान कर और समायोजन के पश्चात् 1.83 करोड़ रू0 का लाभ हुआ है, कंपनी का निवल लाभ 0.99 करोड़ रू0 है। चूँकि लाभ की रकम बहुत ही साधारण है और इसे भविष्य के लिए रखना प्रस्तावित है, वर्ष 2015–16 के लिए कोई लाभांश घोषित करना प्रस्तावित नहीं है।

6. बीज प्रभाग

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, देश के 10 राज्यों में बीज उत्पादन कार्य किए गए। वर्ष 2015–16 के दौरान पिछले वर्ष के 75,000 क्विंटल के मुकाबले 1,00,000 क्विंटल बीज का उत्पादन एवं बिक्री की गई और पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वद्धि दर्ज की। आलोच्य वर्ष के दौरान गत वर्ष की 37 करोड़ रु0 के बीज की बिक्री बढ़कर इस वर्ष 42 करोड़ रु0 हुई।

केंद्रीय बीज एजेंसियों की राष्ट्रीय कंसल्टेंट्स और निदेशक,भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के साथ हैदराबाद में हुई बैठक में एच.आई.एल द्वारा भाग लिया गया।

वर्ष 2015–16 के दौरान, कंपनी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एक प्रमुख कार्यक्रम तिलहन और ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (एन एम ओ ओ पी) के तहत किसानों को तिलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों की 55,763 बीज मिनिकिट की आपूर्ति करने में सक्षम हुई, कंपनी ने यह आपूर्ति गत वर्ष की तुलना में लगभग 253% की एक अभूतपूर्व वृद्धि के साथ की। कंपनी ने बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना पर विचार किया है तथा प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य प्रक्रिया में है। कृषि मंत्रालय भी बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता कर रहा है।

7. उर्वरक प्रभाग

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसानों के कृषि आदानों की आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक कारोबार भी आरम्भ किया। भारत में कृषि के विकास में उर्वरक एक महत्वपूर्ण घटक है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी.पी) में कृषि का योगदान 7वें स्थान पर है। भारत उर्वरकों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादकर्ता है। उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्थिक सहायता प्राप्त पी एंड के उर्वरकों के आयात के लिए पोषक आधारित अनुदान (एन.बी.एस) में एच.आई. एल को मान्यता प्रदान की है तथा शामिल किया है। कंपनी ने बिहार, ओड़िशा और पश्चिमी बंगाल राज्यों की माँग को पूरा करने के लिए पी.एस.एस.पी और जी.एस.एस.पी की (व्यापार आधारित) आपूर्ति करने के लिए स्थानीय एस.एस.पी विनिर्माताओं के साथ समझौते का ज्ञापन (एम.ओ.यू) किया है। कंपनी ने पूर्वी क्षेत्रों में नीम कोटेड यूरिया और एन.पी.के की आपूर्ति के लिए मार्च, 2016 में लगभग 7 करोड़ रू0 का कारोबार किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (एन.एफ.एल) और राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स (आर.सी.एफ) के साथ समझौते का ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। हमनें अगले वर्ष अर्थात वर्ष 2016–17 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अपने नेटवर्क माध्यम में एक लाख टन उर्वरकों की आपूर्ति करने का एक लक्ष्य रखा है तथा उसके पश्चात् इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एच.आई.एल एकमात्र ऐसा उपक्रम है जो किसान समुदाय को तीनों खंडो अर्थात कृषि रसायन/बीज और उर्वरक उत्पाद की एक पूरी बास्किट प्रदान करता है।

उर्वरकों की आपूर्ति के लिए एच.आई.एल और आर.सी.एफ –एच.आई.एल की ओर से श्री समीर कुमार बिश्वास, तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और संयुक्त सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय साथ में श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और आर.सी.एफ की ओर से श्री आर.जी. राजन, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान करते हुए।

8. अनुसंधान एवं विकास

कंपनी ने कीटनाशकों के विश्लेषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य पूरे किये है तथा उत्पादन की लागत को कम करने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित रूप से इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को कार्यान्वित किया। नियमित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के फलस्वरूप, कंपनी यूनिट से संबंधित समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया में तथा उच्च लागत के स्थान पर उचित कम लागत वाले विकल्पों को लाने में समर्थ हुई है।

श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) गुरूग्राम, हरियाणा स्थित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र पर डॉ0 एस.के. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त, भारत सरकार का स्वागत करते हुए।

गुड़गॉव में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र तथा विनिर्माणन यूनिटें बूप्रोफ्रेज़िन, इमिडाक्लोप्रिड और ग्लाइफोसेट के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली कुशल तकनीक पर लगातार कार्य करती हैं, ताकि संयत्र स्तर पर समस्याओं को कम किया जा सके।

9. एम ओ यू :

सरकारी उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न समझौता ज्ञापन (एमओयू) पैरामीटरों के आधार पर वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया तथा कंपनी को ''अच्छा'' दर्जा प्राप्त हुआ है।

10. पुरस्कार/प्रमाणन

कंपनी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बी.टी.–सी.एस.आर उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है और उत्कृष्टता का यह पुरस्कार कौशल भारत का व्यावसायिक कौशल बढ़ाने की श्रेणी में प्रदान किया गया है।

वर्ष के दौरान कंपनी की उद्योगमण्डल यूनिट को औद्योगिक सुरक्षा बनाए रखने और दुर्घटनाओं की सबसे कम आवृत्ति होने के लिए ''उत्कृष्ट सुरक्षा'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कंपनी के उद्योगमण्डल यूनिट को कोच्चि टॉलिक द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी)

का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को तेज़ी और कुशलता से कार्य करने तथा अपने कारोबार संबंधी कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सैप लागू करने की प्रक्रिया में है। इकाइयों और कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए लीज़्ड लाइन/ ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। कंपनी का प्रधान कार्यालय वाइफाई सक्षम है।

12. विकसित नीति और इसकी सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहलों का विवरणः

कंपनी की एक बोर्ड से अनुमादित सी एस आर नीति है तथा वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी ने समाज के शोषित वर्ग के उत्थान की दिशा में गतिविधियों का सक्रिय रूप से पालन किया है तथा समाज एवं समुदायों के अधिकांश लोगों के जीवन को छूने वाली मूल स्तर पर समस्याओं एवं स्थानीय समुदायों के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सफाई, खेती और व्यावसायिक निपुणता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सर्वांगीण विकास के प्रयास किए हैं।

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित व्यवहार्य और धारणीय सी एस आर कार्यकलापों की पहल की गई हैं।

(i) केरल में एलूर ग्राम पंचायत के निवासियों को सुरक्षित पीने का पानी तथा समुदाय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करना।

(ii) उद्योगमण्डल, केरल में एलूर गॉव और महाराष्ट्र में रसायनी के नजदीक सावला गॉव में स्कूल के बच्चों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें वर्दी इत्यादि देकर शिक्षा को बढ़ावा देना।

(iii) कंपनी जॉब ट्रेनिंग प्रदान करती है (अर्थात व्यावसायिक प्रशिक्षण) तथा प्रशिक्षुओं को वजीफे का भुगतान करती है।

(iv) कंपनी ने पर्यावरणीय प्रबन्धन, उर्जा संरक्षण और दीर्घकालिक विकास के लिए सामाजिक उत्थान का नेतृत्व करने में श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाई है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने सी एस आर पहलों पर 19.60 लाख रू0 खर्च किए हैं।

13. मानव संसाधन विकास

कार्मिक कंपनी के विकास और प्रभावशाली संचालन के संचालक होते हैं। हमें आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने उत्पादन का अधिक लक्ष्य प्राप्त करने एवं रचनात्मक कार्य संस्कृति बनाने और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कार्मिक शक्ति का सर्वोत्तम प्रयोग करने तथा विकास के प्रतिबल को जारी रखने के सभी प्रयास किए।

कार्मिक शक्ति : दिनांक 31.03.2016 को कुल कार्मिक शक्ति 1115 थी, जिसमें 296 कार्यपालक तथा 819 गैर–कार्यपालक थे, जबकि गत वर्ष कार्मिक शक्ति 1210 थी, जिसमें, 315 कार्यपालक तथा 895 गैर–कार्यपालक थे।

औद्योगिक संबंध : रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सामान्य रहे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग : वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति जी के निर्देशों के कार्यान्वयन को जारी रखा। 31.03.2016 तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल कार्मिकों के सं0 निम्नानुसार है :–

	सं0
अनुसूचित जाति	169
अनुसूचित जनजाति	69
अन्य पिछड़ा वर्ग	368
कुल	**606**

कंपनी द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए किए गए कार्य/उठाए गए कदम :–

श्री पी.सी सिंह, उप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन), रसायनी यूनिट को टाइम्स समूह द्वारा शीर्ष 50 सार्वजनिक उपक्रमों में उत्कृष्ट मानव संसाधन कार्य क्षेत्र में योगदान के लिए 01.09.2016 को सम्मानित किया।

कंपनी अपनी यूनिटों के पड़ोसी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों हेतु कल्याण के उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्थातः स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण एवं स्कूल यूनिफार्म का वितरण तथा स्थानीय निकायों की पीने के पानी की आपूर्ति में जब भी आवश्यकता हो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि की स्थापना करने में सहायता करना।

14. कर्मचारी एवं संबंधित प्रकटीकरण का ब्यौरा

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है।

15. निदेशकों, प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक से संबंधित प्रकटीकरण एवं कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी एक भारत सरकार का उद्यम है तथा निदेशकों के पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, कंपनी अधिनियम के निबन्धन के अनुसार एक पारिश्रमिक समिति का भी गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व स्वतन्त्र निदेशक द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना कंपनी के प्रबन्धकीय कार्मिको के संबंध में (प्रबन्धकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाएं, जो इस रिपोर्ट में परिशिष्ट के रुप में संलग्न हैं।

16. राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम 1976 के अनुपालन में कंपनी में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत से उपाय किए गए हैं, जिनके फलस्वरूप हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हुई है। आपकी कंपनी राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु और राजभाषा हिन्दी में हुई प्रगति की समीक्षा करने हेतु अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करती है।

वर्ष के दौरान कंपनी के प्रधान कार्यालय और इसकी यूनिटों में 20 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें से 3 कार्यशालाओं में कंप्यूटर पर यूनिकोड में हिन्दी में कार्य करने के लिए 68 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया तथा 17 कार्यशालाओं में 230 कार्मिकों को हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

कंपनी की वेबसाइट द्विभाषी है कंपनी द्वारा विनिर्मित सभी उत्पादों के लीफलैट तथा लेबल न केवल अंग्रेज़ी और हिन्दी में हैं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार किए जाते हैं।

हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन के अतिरिक्त, कंपनी के प्रधान कार्यालय और यूनिटों में हिन्दी पखवाड़े का भी आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न हिन्दी की प्रतियोगिताएं, जैसे हिन्दी निबंध, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, वाद–विवाद, हिन्दी श्रुतलेखन, अनुवाद, स्लोगन, कविता लेखन, प्रश्न मंच, हिन्दी टंकण और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। पखवाड़े में सफलता प्राप्त कार्मिकों को कंपनी में लागू पुरस्कार प्रोत्साहन योजना के अनुसार नकद और वस्तु रूप में पुरस्कार दिए गए।

विश्व हिन्दी परिषद एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 14.09.2016 को आयोजित हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री किरेन रिजीजू और माननीय सांसद श्री मुरली मनोहर जोशी एवं श्री अश्विनी कुमार चौबे के कर–कमलों से हिन्दी ''गौरव पुरस्कार'' प्राप्त करते हुए श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक(अतिरिक्त प्रभार), एच.आई.एल।

वर्ष के दौरान, कंपनी की उद्योगमण्डल यूनिट को हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए कोचीन टॉलिक से तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हिन्दी निबंध और हिन्दी टंकण प्रतियोगिता में उद्योगमण्डल यूनिट के एक कार्मिक को प्रथम पुरस्कार तथा रसायनी यूनिट के एक कार्मिक को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

कंपनी की रसायनी यूनिट के एक कार्मिक को नवी मुम्बई, नराकास द्वारा आयोजित आशु भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005:

आपकी कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर. टी.आई) लागू किया गया है, कंपनी ने अपेक्षित उपाय किए हैं तथा अधिनियम के तहत आवेदक की माँग का प्रभावी उत्तर देने के लिए कंपनी की सभी यूनिटों/कार्यालयों में अपील प्राधिकारी/जन

सूचना अधिकारी नियुक्त किए हैं। क्रिया का उद्देश्य संगठन की गतिविधियों में पारदर्शिता लाना है तथा कंपनी ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रचनातन्त्र स्थापित किया है।

18. उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश तथा विदेशी मुद्रा से आय तथा व्यय पर रिपोर्टः

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) से संबंधित विवरण क) उर्जा संरक्षण ख) प्रौद्योगिकी समावेश ग) विदेशी मुद्रा से आय और व्यय के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

19. जोखिम प्रबन्धन नीति का कार्यान्वयन :

कंपनी ने कार्यस्थल में एक विस्तृत प्रबन्धन ढांचे को अपनाया है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (आर.एम.सी) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में गठित की गई है। आर.एम.सी जोखिमों की पहचान और समीक्षा करने तथा अल्पावधि और दीर्घावाधि दोनों ही आधार पर जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करने तथा रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार है।

20. जिम्मेदारी स्वरूप वक्तव्य :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (ग) के अनुसरण में आपके निदेशक पुष्टि करते हैं किः–

(i) वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा कंपनी द्वारा उनमें से कोई सामग्री बाहर नहीं भेजी गई।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका समनुरूप प्रयोग किया है और जो उचित है उनके बारे में निर्णय एवं आकंलन किया है ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी की लाभ एवं हानि के बारे में उचित एवं सही दशा प्रस्तुत कर सके।

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्ति को सुरक्षित रखने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने के लिए तथा धोखेबाजी तथा अन्य विनियमितताओं को रोकने और पता लगाने हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती हैं।

(iv) निदेशकों ने ''चल प्रतिष्ठान'' पर आधारित वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

(v) कंपनी पर लागू सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली की स्थापना की गई है।

21. कारपोरेट संचालन का अनुपालन :

सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार ने कारपोरेट संचालन पर लागू दिशा–निर्देशों अनुपालन के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को ग्रेडिंग के उद्देश्य से कुछ माप दण्ड निर्धारित किए हैं तथा यह रिपोर्ट सरकार को तिमाही वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। आपकी कंपनी द्वारा डी. पी.ई द्वारा निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट संचालन पर निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन किया गया तथा सरकार को नियमित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

कॉरपोरेट संचालन पर रिपोर्ट परिशिष्ट –1 पर संलग्न है।

22. बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए आचार संहिताः

सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबन्धन ने पुष्टि की है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशकों और वरिष्ठ प्रबन्धन की आचार संहिता के प्रावधानों का पालन किया गया है।

23. बोर्ड के निदेशक

आपकी कंपनी में निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्तमान नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एस.पी. मोहन्ती	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	15.09.2015
2.	श्री समीर कुमार बिश्वास	सरकार द्वारा नामित निदेशक	02.09.2015
3.	श्री दिनेश कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक	30.05.2016
4.	श्री वी. मुराली	अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक	26.11.2013
5.	डॉ0 सी.वी. जयामनी	अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक	15.06.2016
6.	श्री भरत विदुरभाई भगत	अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक	15.06.2016
7.	श्री ओमप्रकाश मित्तल	अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक	15.06.2016

24. लेखा परीक्षा समितिः

कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। वर्तमान संरचना के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार हैः–

1. श्री वेंकटारमन मुराली, अध्यक्ष
2. श्री भरत विदुरभाई भगत, सदस्य
3. डॉ0 सी.वी. जयामनी, सदस्य

25. सांविधिक लेखा परीक्षकः

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए यूनिटों एवं कार्यालयों के संबंध में उनके नाम के आगे लिखी गई निम्नलिखित सनदी लेखाकारों की फर्मों को कंपनी के

सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है :–

लेखा परीक्षक का नाम	यूनिट/कार्यालय जिसकी लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए
मैसर्ज एस एस ए आर एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली।	प्रधान कार्यालय, बठिंडा यूनिट, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, दिल्ली, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र तथा समेकित लेखे।
मैसर्ज ए.पी. राजागोपालन एण्ड कंपनी, मुम्बई।	रसायनी यूनिट तथा क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय नागपुर तथा अहमदाबाद।
मैसर्ज अब्राहम थॉमस एण्ड कंपनी, केरल।	उद्योगमण्डल यूनिट तथा क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय–कोयम्बटूर तथा हैदराबाद।
मैसर्ज बंधोपाध्याय एण्ड दत्त, पश्चिम बंगाल।	क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय कोलकाता।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर निदेशकों के उत्तरों की टिप्पणियां कथन लेखे के साथ अनबद्ध है।

26. लागत–लेखा–परीक्षाः

कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 148 के अनुसार निम्नलिखित लेखापालों को वर्ष 2015–16 के लिए लागत–लेखा–परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया हैः–

1. मैसर्ज राजेन्द्रन मणि एण्ड वॉरियर, कोचीन – उद्योगमण्डल यूनिट
2. मैसर्ज बी. एम., शर्मा एण्ड कंपनी, महाराष्ट्र – रसायनी यूनिट
3. मैसर्ज जुगल के. पुरी एण्ड एसोसिएट्स, गुड़गांव – बठिंडा यूनिट

27. प्रबन्धन परिचर्चा तथा विश्लेषणः

प्रबन्धन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट परिशिष्ट–II पर है।

28. सहायक कंपनी (एस पी सी एल)

सहायक कंपनी दि सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लिमिटेड दिनांक 2.4.2002 को बंद करने के आदेश हो गए थे। कंपनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के साथ लगे सरकारी परिसमापक को सौंप दी गई थी। चूँकि कंपनी परिसमापण के अधीन है, इसलिए कंपनी के वार्षिक लेखे संलग्न न करने के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, फॉर्म ए.ओ.सी –1 विवरण में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के विशेष महत्वपूर्ण लेख सहित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 की उपधारा 3 के अधीन अपेक्षित, कंपनी के वार्षिक लेखे के साथ संलग्न है।

29. पब्लिक डिपोज़िटः

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी ने कंपनी नियम 2014 (डिपोज़िट की स्वकार्यता) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 74 के आश्य में कोई डिपोजिट स्वीकार नहीं किया है।

30. वार्षिक प्रतिलाभ के उद्धरणः

कंपनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 92 (3) के तहत अपेक्षित वार्षिक प्रतिलाभ के उद्धरण इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

31. बोर्ड एवं लेखा समिति की बैठकों की सं0ः

आपकी कंपनी की बोर्ड और लेखा समितियों की सं0 का विवरण कारपोरेट शासन रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है, में वर्णित है।

32. एक स्वतन्त्र निदेशक द्वारा घोषणाः

श्री वी. मुराली, स्वतन्त्र निदेशक ने बोर्ड में प्रकटन किए है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के प्रावधान के अधीन एक स्वतन्त्र निदेशक की अपनी नियुक्ति के लिए अर्हता के रूप में सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। बोर्ड ने पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत स्वतन्त्र निदेशक के लिए निर्धारित मापदण्ड पूरा करते हैं।

33. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत ऋण, गारन्टी अथवा निवेश का विवरणः

विवेच्याधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कंपनी ने कोई ऋण, गारन्टी अथवा निवेश नहीं किया है और तथापि, उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं है।

34. संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरणः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अधीन विहित कोई संविदा दर्ज नहीं की है।

35. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान एवं उनके कर्तव्यों का निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति।

कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम है तथा निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मान के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाते हैं। कंपनी ने प्रदर्शन और संबंधित वेतन और अन्य लाभ आदि यदि कंपनी के कार्मिकों को देय

हों, का निर्णय लेने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26 नवम्बर, 2008 के का.ज्ञा. सं 2(70)/08– डी पी ई (डब्ल्यू सी) द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमान निर्धारित किए गए हैं।

36. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (सैक्सूयल ह्रासमन्ट) (निवारण, निषेध और सुधार) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटीकरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार कंपनी के कार्यस्थल पर महिलाओं में यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक नीति है।

वर्ष 2015–16 के दौरान यौन–उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है।

37. आभार

आपके निदेशक भारत सरकार के विशेषतः रसायन और उर्वरक मंत्रालय का उनके मूल्यवान मार्ग दर्शन तथा समर्थन के लिए हार्दिक रूप से आभार प्रकट करते हैं। निदेशक स्वास्थ्य मंत्रालय,कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के लागत लेखा शाखा, राज्य सरकारों तथा कंपनी बैंकरों की उनके निरन्तर सहयोग तथा सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं।

निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक और आन्तरिक लेखा परीक्षकों का उनके लगातार समर्थन एवं सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक कंपनी के सभी कार्मिकों द्वारा किए गए, वास्तविक प्रयत्न तथा कड़े परिश्रम के लिए हार्दिक सराहना अभिलेखबद्ध करते हैं तथा अगले वर्षों में कंपनी और अधिक ऊँचाईयां छूने के लिए उनकी उत्साह और समर्पण के साथ सेवाओं की कामना करती है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–
(एस.पी. मोहन्ती)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कारपोरेट संचालन पर रिपोर्ट

कम्पनी की कारपोरेट संचालन पर दार्शनिकता

कारपोरेट संचालन शेयरधारक मूल्य वैधानिक, नैतिक तौर पर और एक स्थायी आधार पर अधिकतम करने के संबंध में है। एच. आई.एल में कारपोरेट संचालन का लक्ष्य प्रत्येक शेयरधारक अर्थात ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कार्मिक, निवेशक, समुदाय, सरकार के लिए निष्पक्षता सुनिशिचित करना है। हम मानते हैं कि मज़बूत कारपोरेट संचालन प्रत्येक शेयरधारक का विश्वास बढ़ाने में और बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। यह हमारी संस्कृति, हमारी नीतियाँ, हमारे ग्राहक के साथ हमारे संबंध और हमारी प्रतिबद्धताओं का प्रतिबिंब है। तद्नुसार, कंपनी हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि प्रदर्शन सत्यनिष्ठा से प्रेरित हो।

कंपनी इन पहलुओं की बेहतरी और इनको स्थिर बनाए रखने के लिए लगातर प्रयासरत है। इस प्रकार अपने शेयरधारकों, ग्प्रहकों, कर्मचारियों, अन्य संबंधित व्यक्तियों और पूर्ण समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य बनाने में स्थिर है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की संरचनाः एच.आई.एल. के निदेशक मंडल में दिनांक 31 3 2016 को पांच सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन कार्यात्मक निदेशक हैं और दो गैर कार्यपालक निदेशक हैं, जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मनोनीत है तथा एक गैर–सरकारी स्वतन्त्र निदेशक हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान एच.आई.एल. के निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक थे :–

कार्यपालक निदेशकः–	
श्री के. हरिकुमार	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक 31.12.2015 तक
श्री समीर कुमार बिश्वास	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 05.01.2016 से
डा. आर. आर. शर्मा	निदेशक (विपणन) 31.08.2015 तक
श्री एस.पी. मोहन्ती	निदेशक (विपणन)15.09.2015 से
श्री वी. सेखर	निदेशक (वित्त) 28.02.2016 तक
गैर–कार्यपालक निदेशकः–	
श्री अरूण अग्रवाल	सरकारी निदेशक
श्री समीर कुमार बिश्वास	सरकारी निदेशक 02.09.2015 से
डा. ए. जे. वारा प्रसाद	सरकारी निदेशक 31.08.2015 तक

गैर–सरकारी स्वतन्त्र निदेशकः	
श्री वी. मुराली	स्वतंत्र निदेशक 26.11.2013 से

बोर्ड की बैठकों की संख्या/बोर्ड बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति तथा वर्ष 2015–16 के दौरान अंतिम वार्षिक आम बैठक।

बैठक की तारीख	बैठक का स्थान	बैठक की तिथि तक निदेशकों की कुल संख्या	निदेशकों की उपस्थिति
26.06.2015	नई दिल्ली	6	5 नं0
12.08.2015	नई दिल्ली	6	5 नं0
30.12.2015	नई दिल्ली	6	5 नं0
23.03.2016	नई दिल्ली	4	4 नं0

क्र0 सं0	निदेशकों के नाम	बैठकों में भाग लिया	29.09.2015 को हुई गत वार्षिक आम बैठक में भाग लिया	31.03.2016 तक अन्य कम्पनियों में अन्य डायरैक्टरशिप की संख्या
1.	श्री के0 हरिकुमार	3	हाँ	1 $
2.	डा0 ए.जे. वारा प्रसाद	1	–	1@
3.	श्री अरूण अग्रवाल	3	–	1&
4.	डा0 आर. आर. शर्मा	2	हाँ	शून्य
5.	श्री वी. सेखर	3	हाँ	शून्य
6.	श्री वेंकटारमन मुराली	3	–	4*
7.	श्री एस.पी. मोहन्ती	2	हाँ	शून्य
8.	श्री समीर कुमार बिश्वास	2	हाँ	शून्य

$ क्रॉप केयर फैडरेशन ऑफ इण्डिया

@ हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल लिमिटेड

& हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड

* श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

* श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

* गरूड़ वायु शक्ति लिमिटेड

* विटजेनमान (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी में एक लेखा–परीक्षा समिति है, जिसमें 3 निदेशक हैं– लेखा–परीक्षा समिति के अधिकार, कार्य एवं कर्तव्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार हैं। 31.03.2016 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं।

1. श्री वेंकटारमन मुराली, अध्यक्ष
2. श्री अरूण अग्रवाल, सदस्य
3. समीर कुमार बिश्वास, सदस्य

वर्ष 2015–16 के दौरान लेखा–परीक्षा समिति की चार बैठकें दिनांक 26.06.2015, 12.08.2015, 30.12.2015 तथा 23.03.2016 को हुई।

नाम	वर्ष के दौरान आयोजित की गई बैठकें	बैठकों में उपस्थित हुए
श्री वी. मुराली	4 नं0	4 नं0
श्री ए.जे. वारा प्रसाद	4 नं0	1 नं0
श्री अरूण अग्रवाल	4 नं0	2 नं0
श्री समीर कुमार बिश्वास	4 नं0	2 नं0
श्री वी.सेखर	4 नं0	2 नं0

पारिश्रमिक समिति

निदेशकों को देय पारिश्रमिक एवं भत्ते भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी उद्यम विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) एक अंशकालिक स्वतन्त्र निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा, जो कार्यपालक संवर्ग के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन नीति तय करेगी।

पारिश्रमिक समिति की बैठकें दिनांक 12.08.2015 एवं 23.04.2016 को की गई। समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि समिति ऐसी नीतियॉ बनाएं, जो कार्मिकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करें, संगठन में दक्षता तथा पुरस्कार प्राप्त करने की योग्यता बनाए रखें।

पारिश्रमिक समिति की संरचना दिनांक 31.03.2016 को एच. आई.एल में निम्नानुसार है:

1. श्री वी. मुराली, अध्यक्ष
   (अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक)
2. श्री समीर कुमार बिश्वास, सदस्य
   (सरकार द्वारा नामित निदेशक)
3 श्री अरूण अग्रवाल, सदस्य
   (सरकार द्वारा नामित निदेशक)

वर्ष 2015–2016 के दौरान निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक एवं मीटिंग सत्र शुल्क:

कार्यपालक निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक स्वतन्त्र निदेशक को भुगतान किया गया अधिवेशन शुल्क

गैर कार्यपालक निदेशक को प्रत्येक बोर्ड तथा उप–समिति की बैठक के लिए 7,500/–रू0 अधिवेशन शुल्क दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम	वेतन एवं भत्ते	सेवांत लाभों के लिए प्रावधान	अन्य लाभ	कुल
1.	श्री के. हरिकुमार	20,89,910/–	22,05,267/–	24,327/–	4,319,504/–
2.	डा. आर. आर. शर्मा	15,43,888/–	18,41,433/–	13,515/–	33,98,836/–
3.	श्री वी. सेखर	16,53,792/–	12,49,083/–	29,733/–	29,32,608/–
4.	श्री एस.पी. मोहन्ती	9,54,711/–	89,074/–	18,921/–	10,62,706/–

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है तथा कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 100% अर्थात इसकी पूरी शेयर–पूँजी भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय एवं उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास होती है। अतः ऐसी कोई भी समिति का गठन अपेक्षित नहीं है।

वार्षिक आम बैठक

क्र0 सं0	वर्ष	स्थान	दिनांक एवं समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
1.	2012–13	नई दिल्ली	27–09–2013 (12.00 बजे दोपहर)	हाँ
2.	2013–14	नई दिल्ली	29–09–2014 (12.00 बजे दोपहर)	नहीं
3.	2014–15	नई दिल्ली	29–09–2015 (12.00 बजे दोपहर)	हाँ

प्रकटीकरण:

निदेशकों का प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई सामग्रीपरक लेन–देन नहीं है, जिससे कम्पनी के हित के साथ भारी मतभेद होने की संभवना हो।

कंपनी द्वारा पूँजी–बाजार से संबंधित किसी मामले के गैर–अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया है क्योंकि, एच. आई.एल. एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी है। गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन भी कंपनी द्वारा विधिवत् किया गया है।

मुखबिर नीति

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखा धड़ी या आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लघंन से संबंधित प्रबन्धन को सूचित करने के लिए कर्मचारियों और निदेशकों के लिए कंपनीज् (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) में अपेक्षित मुखबिर नीति की स्थापना की है। मुखबिरी नीति तंत्र कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पूर्वोपाय करेगी।

सतर्कता

एच.आई.एल एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते कंपनी के अभिलेखे सांविधिक लेखा परीक्षकों के अतिरिक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा तथा सतर्कता द्वारा निरीक्षण के लिए खुला है। एच.आई.एल का एक सतर्कता विभाग है, जिसका मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा नेतृत्व किया

जाता है। सतर्कता विभाग निरीक्षणों के द्वारा निवारक सतर्कता पहलुओं से दबाव बनाता है तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों से संगठन को नियमित रूप से अवगत कराता रहता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक मनाया गया। इस अवधि के दौरान कार्यपालक तथा गैर कार्यपालक कार्मिकों के लिए वाद–विवाद तथा ''अच्छे शासन के हथियार के रूप में पूर्व सतर्कता'' थीम पर निबंध लेखन, कविता और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

संप्रेषण का माध्यमः

कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा दिया गया है।

सामान्य शेयर–धारकों के लिए सूचनाः

कंपनी की सम्पूर्ण प्रदत्त शेयर–पूँजी भारत के राष्ट्रपति महोदय और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास है। वार्षिक आम बैठक का ब्यौरा ऊपर दिया गया है। कंपनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

निगमित शासन का प्रमाण – पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
द्वितीय मंजिल, कोर–6, स्कोप काम्पलैक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003

हमने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों में किए गए उल्लेख के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होती है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के द्वारा अंगीकार की गई कार्य प्रणाली और उसके अनुपालन तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवर्णियों की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार में और हमारी अधिकतम जानकारी और उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सत्यापित करते हैं कि लोक उद्यम विभाग के उल्लिखित दिशा निर्देशों में किए उल्लेख के अनुसार, कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

(राजेश हाड़ा)
व्यावसायिक कंपनी सचिव
एफसीएस–6863
सीपी नं0 – 7299

दिनांकः 08 सितम्बर, 2016

प्रबन्धकीय विचार–विमर्श और विश्लेषण

आपकी कंपनी, जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई, लोक स्वास्थ्य, फसल सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए कीटनाशकों का निर्माण करती है और यह गुणवत्तावान बीजों के उत्पादन, बहुलीकरण और व्यापार में लगी हुई है। कंपनी ने गुणवत्तावान पैस्टिसाइड्स और गुणवत्तावान बीजों के उत्पादन और आपूर्ति करके कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए योगदान देकर ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार करके ग्रामीण भारत को समृद्ध करने में मुख्य भूमिका निभाई है।

1. क) लोक स्वास्थ्य के लिए कीटनाशक

देश में रोगाणुवाहक रोग विशेष रूप से मलेरिया और काला जार के नियंत्रण में एच.आई.एल. की मुख्य भूमिका है। देश की आबादी के लगभग 95% लोग मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं और देश में 80% मलेरिया के सूचित आंकड़ों में 20% आदिवासी, पहाड़ी, कठिन और दुगर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग सम्मिलित हैं। ओड़िशा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम और त्रिपुरा मुख्यतः मलेरिया प्रभावित क्षेत्र हैं। देश में डी.डी.टी का एक मुख्य रोगाणुवाहक नियंत्रण यंत्र के रूप में प्रयोग करके 75 मिलियन से वर्तमान स्तर तक मलेरिया की घटनाओं को कम किया जा सका है। इनडोर अवशिष्ट स्प्रे (आई.आर.एस.) लक्षित (टारगेटिड) जनसंख्या के अनुसार, यदि इसके लिए अन्य उपकरण जैसे मैलाथियॉन और सिन्थेटिक पाइरिथ्रोइड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है तो डी.डी. टी 50% की वार्षिक तकनीकी आवश्यकता 12,000 मी.टन है।

काला जार मुख्य रूप से देश के चार राज्यों अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। अनुमानों के अनुसार, चार राज्यों में लगभग 46.55 लाख आबादी है। बीमारी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है। अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के बावजूद जमीन से 6 फीट की ऊँचाई तक वर्ष में दो बार डी.डी.टी के इन्डोर अवशिष्ट स्प्रे (आई.आर.एस) के माध्यम से वेक्टर जनित रोग नियंत्रण से देश में मलेरिया की घटनाओं में 76% से अधिक की गिरावट आई है और होने वाली मौतों में 85% कमी हुई है।

यह माना जाता है कि सरकार ने काला–जार को खत्म करने के लिए वर्ष 2017 तक का लक्ष्य रखा है और डी.डी.टी एक वेक्टर नियंत्रण माध्यस्थ के रूप में जारी है, क्योंकि यह 25–30% तक महामारी को प्रभावित करती है।

एच.आई.एल. अफ्रीका को डी.डी.टी का निर्यात करके मलेरिया को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक सबसे प्रभावी उपकरण के रूप में डी.डी.टी पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ एच.आई.एल. को एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में बहुत बड़ी संभावना है तथा वर्ष, 2015–16 के दौरान जिम्बावे, मोजेम्बिक, साउथ अफ्रीका इत्यादि जैसे देशों को 374.052 मी.ट. डी.डी.टी का निर्यात किया है।

एच.आई.एल., हालांकि डी.डी.टी की प्रभावकारिता के बारे में आश्वस्त है, डी.डी.टी के विकल्प के विकास के लिए भी विचार कर रही है। कंपनी ने पहले से ही डी.डी.टी के विकल्प के रूप में एक बॉयो–डिग्रेडेबल विकसित करने के लिए रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के साथ करार किया है, जिसे एक इन्डोर अवशिष्ट स्प्रे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एच.आई.एल. कीटनाशकीय उपचारित जाल के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के उन्नत चरण में है, जिसे वर्तमान में रोगवाहक नियंत्रण उपकरण के विकल्प के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ तथा मलेरिया, लैशमेनिएसिस आदि की घटनाओं को कम करने के लिए कंपनी महसूस करती है कि इन सभी पहलों का लाभ लम्बे समय के बाद प्राप्त होगा तथा एच.आई.एल. वेक्टर नियंत्रण पर मजबूती से ध्यान देने वाली एक कंपनी के रूप में उभरेगा।

ख)फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक

भारतीय कृषि में एक संरचनात्मक बदलाव आया है और इसे कृषिय सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय विश्व स्तर पर शुमार किया गया है। कृषिय उत्पादन अब संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत ऊपर है, जिसका प्रयोग 1960 के दशक में पी एल–480 के तहत खाद्यान्न और कपास की आपूर्ति के लिए किया जाता था। विगत 1970 के दशक में सरकार द्वारा प्रायोजित अनाज केन्द्रित, हरित क्रान्ति के माध्यम से बदलाव आया है। वर्तमान विकास संचालक बागवानी है। भारत में अब चावल और गेहूँ से अधिक फल और सब्जियों की पैदावार एवं खपत होती है, इससे न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है तथा अब भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का उत्पादक देश के रूप में उभरा है। इसे मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण कृषि इनपुट अर्थात बीज, खाद और कीटनाशकों के प्रभावी फैलाव के माध्यम से हासिल किया गया है। एच.आई.एल. दो महत्वपूर्ण इनपुट अर्थात बीज और कीटनाशकों में सक्रिय है।

भारतीय उद्योग 80% गैर पैटेंट अणुओं की कार्य–प्रकृति के साथ अधिकांशतः प्रजातिगत (जनेरिक) है। हालांकि भारत में कीटनाशकों का अधिक उपभोग जारी है, कृषि श्रम की कमी के कारण अधिक शाकनाशियों के प्रति एक बदलाव हो रहा है।

कृषि बाजार में बहुराष्ट्रीय, बड़ी भारतीय कंपनियां एवं यहां तक कि जाली निष्पादकों से लेकर 700 से भी अधिक फार्मुलेटरों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है। एच.आई.एल. ने किसानों को उचित दामों पर गुणवत्ता उत्पाद प्रदान करके एक भरोसेमन्द आपूर्तिकर्ता के रूप में एक अलग जगह बनाई है।

कंपनी ने फसल सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई है तथा क्लोरिपायरीफॉस,

इमिडाक्लोप्रिड इत्यादि जैसे उत्पादों का उत्पादन करना शुरू किया है। पेन्डिमैथलिन का निर्माण करने का संयंत्र भी उद्योगमण्डल यूनिट में लगने वाला है।

2. बीज

बीज कृषिय उत्पादन मे सीधे विकास के लिए मुख्य कृषि आदान होने के नाते उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त देश में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में हमेशा मांग में रहेगा। इसलिए, एच.आई.एल का प्रबन्धन बीज उत्पाद कार्यक्रम में नवीनतम अधिक उपज देने वाली किस्मों को जोड़कर किसानों को बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा करता है तथा गत वर्ष एच.आई.एल ने विभिन्न राज्य सरकारों की बीज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम अधिक उपज किस्मों की आपूर्ति भी की है। इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित बीज मिनीकिट आपूर्ति कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम) और ऑयल सीड एवं ऑयल पॉम पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी) के लिए दालों और ऑयल सीड फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एच.आई.एल ने विभिन्न राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीज मिनीकिट आपूर्ति कार्यक्रम को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उच्च गुणवात्तावान बीजों की समय पर आपूर्ति करके विश्वास हासिल किया है। खरीफ़ 2016 के दौरान एच.आई.एल ने सभी 6 राष्ट्रीय एजेंसियों को अधिकतम मूंगफली बीज मिनीकिट की आपूर्ति की है। आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और अर्ध–शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी), हैदराबाद आई.सी. आर.आई.एस.ए.टी द्वारा विकसित मूंगफली किस्मों के प्रजनक बीज उत्पादन के लिए तकनीकी सहायता और बेसिक सामग्री प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे किसानों को अधिक मात्रा में इन किस्मों के बीजों की आपूर्ति करने में सक्षम होंगे।

एच.आई.एल अपने बीज उत्पादकों को सुरक्षित और विवेकपूर्ण पेस्टिसाइड्स का उपयोग, आई.पी.एम प्रथाओं को ग्रहण करने और वैकल्पिक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, जो बीज उत्पादन फसलों में कम खतरनाक हैं, का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भी योजना है कि वनस्पति फसलों की सब्ज़ी बीज उत्पादक के देखभाल करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण के माध्य से कौशल विकास को बढ़ाया जाए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बागवानी के विकास पर एकीकृत मिशन (एम.आई.डी.एच), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।

3. जोखिम और चिंताएं:–

मानसून पर निर्भरता, सिंचाई सुविधाओं की कमी और देश के बहुत से भागों में सूखे की स्थिति जोखिम के मुख्य कारण हैं। कुछ भागों में बाढ़ की घटनाएं भी चिंता का विषय है।

कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, मुख्य इनपुट के लिए चीन पर निर्भरता, मुद्रा की कीमतों में उतार–चढ़ाव, पैस्टिसाइड्स के खिलाफ नकारात्मक प्रचार आदि भी चिंता का विषय हैं।

4. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास कार्यों में दक्षता लाने, संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं उसकी प्रभावी निगरानी करने तथा लागू विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित आंतरिक नियंत्रणों की एक पर्याप्त प्रणाली है।

कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए प्रोफेशनल की भर्ती की है, ताकि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली और भी मजबूत हो जाए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत समस्त कार्यालयों, कारखानों और मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षणों तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है।

लेखा परीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक नियंत्रण परिवेश की पर्याप्तता की प्रभाविकता की समीक्षा करती है तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं प्रणालियों को मजबूत बनाने संबंधी सिफारिशों सहित लेखा परीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करती है।

5. परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन।

क) कंपनी में गत वर्ष के दौरान हुई 334.75 करोड़ रू0 की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान 339.90 करोड़ रू0 की बिक्री की।

ख) नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित औद्योगिकी संबंधों में होने वाली खास प्रगति।

कंपनी का मानना है कि मानव पूँजी एक बड़ी संपदा है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी के इतिहास में श्रमिकों के कारण एक भी श्रम दिन व्यर्थ नहीं गवाया गया है।

कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र के पुनः सक्रिय करने के अलावा सर्व कर्मचारी कल्याण योजनाएं भी बनाई जा रही है। कंपनी का एक लक्ष्य कर्मचारियों की संतुष्टि करना भी है, जिस पर कंपनी नियमित रूप से कार्य कर रही है।

6. पर्यावरणीय रक्षा एवं संरक्षण/प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण :

एच.आई.एल. ने पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण में पहले से ही कई उपाय कर लिए हैं। हमारी उद्योगमण्डल यूनिट प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पुरस्कार जीतना शुरू हो गई है। हमारी बठिंडा यूनिट को माननीय श्रम मंत्री, पंजाब सरकार से रसायनिक उद्योग में दुर्घटना आवृति दर में भारी कमी के लिए सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निरूपित

बहिःस्राव पानी का पुनर्चक्रण/कमी तथा पुनः उपयोग करके पानी का संरक्षण किया जा रहा है। कंपनी पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल फार्मुलेशनों को विकसित कर रही है।

7. सचेतक उपाय

कंपनी के उद्देश्य, परियोजनाओं, अपेक्षाओं और अनुमानों के बारे में प्रबन्धन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण में उल्लेख किया गया है। कंपनी का प्रदर्शन बाहरी कारणों जैसे मानसून, सरकार की नीतियों में परिवर्तन, आर्थिक कारकों आदि, जो आपकी कंपनी में संचालन को प्रभावित कर सकते हों पर भी निर्भर करता है।

निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट
फार्म क
ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में विवरणों के प्रकटीकरण का प्रपत्र

	विवरण	यूनिट	2015–16	2014–15
क	**विद्युत एवं ईंधन की खपत**			
1.	बिजली			
	कुल यूनिट	केडब्ल्यूएच	10820771.00	12199677.00
	कुल राशि	रु0	85647887.00	91212963.00
	दर/यूनिट	रु0	7.92	7.48
2.	फर्नेस तेल			
	मात्रा	कि.ली.	667.91	799.39
	कुल राशि	रु0	15410281.00	32635803.00
	दर/कि.ली.	रु0	23072.53	40825.68
3.	ईंधन तेल (एचएसडी)			
	मात्रा	कि.ली.	68.11	86.18
	कुल राशि	रु0	2840415.00	4337335.00
	दर/यूनिट	रु0	41701.51	50331.12
4.	प्राकृतिक गैस			
	मात्रा	एमएमबीटीयू	77234.00	105863.00
	कुल राशि	रु0	47801834.00	100309813.00
	दर/यूनिट	एमएमबीटीयू	618.92	947.54
ख	**उत्पादन की प्रति यूनिट खपत**			
	विवरण	**यूनिट**	**2015–16**	**2014–15**
1	डी.डी.टी तकनीकी			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	915.89	1212.08
	फर्नेस तेल	लीटर	885.00	854.00
2	डी.डी.टी फार्मुलेशन			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	693.95	630.00
3	मैलाथियॉन तकनीकी			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1965.00	1333.00
	फर्नेस तेल	लीटर		
	गैस	एम.एम.बी.टी.यू	8.32	12.89
4	मैलाथियॉन फार्मुलेशन			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	0.00	101.00
5	मोनोक्रोटोफॉस तकनीकी			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1213.00	1154.00
	फर्नेस तेल	लीटर		
	गैस	एम.एम.बी.टी.यू	24.60	19.49
6	मोनोक्रोटोफॉस फार्मुलेशन			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	43.00	25.00
7	डाइकोफॉल तकनीकी			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	5011.00	3652.00
	फर्नेस तेल	लीटर	847.00	766.00
8	डाइकोफॉल फार्मुलेशन			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	170.00	207.00
9	मैंकोजेब			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1290.00	1473.00
	फर्नेस तेल	लीटर	133.00	131.00
	ईंधन तेल (एच.एस.डी)	लीटर	205.00	204.00

फार्म ख

प्रौद्योगिकी के आमेलन से संबंधित विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1. विशेष क्षेत्र जिनमें कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया।	क. पैस्टिसाइड्स तकनीकियों के लिए विकास के नुस्खे। ख. वर्तमान पैस्टिसाइड्स फार्मुलेशनों के लिए सुरक्षित मितव्ययी एवं पर्यावरण अनुकूल नुस्खे का विकास, स्थानीय तौर पर उपलब्ध स्वदेशी कच्ची सामग्री तथा अक्रियों का उपयोग करके लागत दक्षता में सुधार लाना। ग. कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार लाना कम विषैली तथा पर्यावरण अनुकूल कच्ची सामग्री का प्रयोग करना तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना। घ. प्रयोगशाला तथा पॉयलट–प्लांट स्तर पर इन हाउस अनुसंधान एवं विकास द्वारा वाणिज्य स्तर तक प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्लांट ट्रायल में विनिर्माणन यूनिटों का सहयोग करना।
2. उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ	क.) यूनिटों की प्रक्रिया से संबंधित कठिनाईयों का मुकाबला करना। ख.) तकनीकियों के लिए अपने फार्मुलेशनों को विकसित करना।
3. भावी कार्य योजना	(क) पेन्डामेथलिन तकनीकी के लिए प्रौद्योगिकी को कुशल बनाना। उत्पादों के शैल्फ – लाइफ विश्लेषणों का संचालन करना तथा प्लांट ट्रायल को बड़े स्तर पर वाणिज्यिक उत्पादनों तक पहुँचाना। (ख) उच्च शुद्धता डाइकोफॉल के लिए प्रौद्योगिकी को कुशल बनाना। उत्पादों के शैल्फ लाइफ विश्लेषण का संचालन करना तथा प्लांट ट्रायल को बड़े स्तर पर वाणिज्यिक उत्पादनों तक पहुँचाना। (ग) विभिन्न कृषि प्रतिपादनों में प्रयुक्त नए विलायक, भराव, पायसीकर्ता तथा अन्य कच्ची सामग्री, जो पर्यावरण अनुकूल और हमारे उत्पादन को बाजार में प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लायक बना पाए, का पता लगाने के लिए विश्लेषण को जारी रखना। (घ) गुणवत्ता अनुरक्षण के लिए हमारी विभिन्न एककों में प्रसंस्करण संबंधी समस्याओं का समय–समय पर समाधान करना तथा जब भी आवश्यकता हो, विभिन्न उत्पादों के वाणिज्यिक स्तर को उन्नत करने की गतिविधियों को तकनीकी सहायता देना।

फार्म ग

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

i) निर्यात से संबंधित गतिविधियों, निर्यात को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयास, उत्पादों एवं सेवाएं तथा निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजार का विकास।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने 365.72 मी.ट. डीडीटी 75%, 186.5 मी.ट. एमजेडबी 80%, 66 मी.ट. डाइकॉफोल (तकनीकी) तथा डीडीटी 180 मी.ट. हिल्थेन एम–45, डीडीटी 75% डब्ल्यू पी. 101.381 मी.ट., डाइकोफॉल तकनीकी 10 मी.ट. एवं 45 कि.ली. हिल्डेन का निर्यात किया है।

ii) कुल विदेशी मुद्रा से आय एवं व्ययः–

	(रू0 करोड़ में)
विदेशी मुद्रा आय	28.66
विदेशी मुद्रा व्यय	4.45

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय सूचना देने की पद्धति के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, स्वतन्त्र लेखा–परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत अपने विचार प्रकट करने के उत्तरदायी है। यह दिनांक 08 सितम्बर 2016 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पुनरावलोकन न करने का निर्णय लिया है तथा इसलिए अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अन्तर्गत काई टिप्पणी नहीं है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता./–

(नन्दना मुंशी)

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड –।।

नई दिल्ली

फार्म सं0 एम जी टी – 9

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासनिक) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

1. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i)	सी आई एनः–	यू24211डीएल1954जीओआई002377
li)	पंजीकरण की तिथि 11/3/1954	
iii)	कंपनी का नाम	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
iv)	श्रेणी/सब–कंपनी की श्रेणी	कंपनी लिमिटेड शेयर द्वारा (सरकारी कंपनी)
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	द्वितीय तल, कोर–6, स्कोप काम्पलैक्स, 7 लोदी, रोड़, नई दिल्ली–110003 ई–मेलः–**hilheadoffice@gmail.com**
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट, यदि कोई है	लागू नहीं

2. कंपनी का मूल कारोबार गतिविधियाँ

क्र0 सं0	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का %
	डी.डी.टी, कृषि रसायन और बीज उत्पादन एवं विपणन		100%

3. स्वामित्व, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों का विवरणः

क्र0 सं0	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	स्वामित्व/सहायक /संबद्ध कंपनी	रखे गए शेयर का %
1.	सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि. (02.04.2002 को बंद करने के आदेश हुए)	यू24110टीजी1980एसजीसी002641	सहायक	76%

4. शेयरधारिता स्वरूप

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होने के नाते संपूर्ण शेयरधारिता भारत के राष्ट्रपति के नाम है।

5. ऋणग्रस्तता

80.72 करोड़ रू0

एसएसएआर एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्वतन्त्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

हमने हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड (कंपनी)के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 की बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि लेखा, उस वर्ष की नकद प्रवाह विवरण तथा विशिष्ट लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है, जिनमें प्रधान कार्यालय, अनुसंधान एवं विकास कॉम्पलैक्स, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय दिल्ली(उत्तर) और बठिंडा यूनिट की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई और 7 अन्य शाखाएं जो रसायनी संयंत्र, अलवॉय संयंत्र, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद और कोयम्बटूर में स्थित शाखाओं के भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लेखा परीक्षा के लेखा विवरण शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व :–

इस वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में कथित मामलों के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल की जिम्मेदारी है कि वे कंपनी (लेखे) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों में सम्मिलित आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकद प्रवाह की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करें। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रख–रखाव, अभिकल्प चयन और उचित लेखांकन नीतियों को लागू करना; तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; जो उचित और दूरदर्शी हों, वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता की सुनिश्चितता के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करें तथा जो मिथ्या विवरण से मुक्त वास्तविक और निष्पक्ष राय दे तथा चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, भी सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और जो अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, उन मामलों के प्रावधान को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं को पूरा करें और इस प्रकार से योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें कि यह आश्वासन प्राप्त हो सकें कि वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण नहीं है।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में दी गई राशि और प्रकट किए गए विवरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना होता है। लेखा परीक्षा अपने विवेक के अनुसार तथा धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरण में अत्यधिक मिथ्या विवरण के जोखिम को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं का चयन करना है। जोखिम का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने और उसमें निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से सुसंगत आन्तरिक नियंत्रण को भी ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षा में इस बात का भी मूल्यांकन किया जाता है कि अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ उपयुक्त हैं तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार किए गए लेखांकन प्राक्कलन उपयुक्त हैं तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं तथा वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा मत को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं।

अपेक्षित मत का आधार

क. राजस्व

1. हम वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान एन.वी.बी.डी.सी.पी को आपूर्ति किए गए डी.डी.टी के अपनाए गए मूल्य में 30.09 करोड़ रुपए के गैर–समायोजन के संबंध में वित्तीय विवरणों को टिप्पणी सं0–40 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें प्रबंधन के आकलन के इस अनुमान कि डी.डी.टी के अंतिम मूल्यों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार लागत लेखा शाखा (सी.ए.बी), वित्त मंत्रालय द्वारा नियत नहीं किया गया था, पर वर्ष 2015–16 के दौरान लागत लेखा शाखा (सी.ए.बी) द्वारा अपनाए गए मूल्य और अंतिम मूल्य के बीच मूल्य अंतर (वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिए क्रमशः रु0 4.77 करोड़, रु0 2.72 करोड़, रु0 9.64 करोड़ और रु0 12.96 करोड़ वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिए) दर्शाया गया है।

   वर्ष 2015–16 के दौरान इस गैर–समायोजन में वित्तीय विवरणों में उल्लेख की गई "महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों" के

अंतर्गत नीति सं0–14 से विचलन शामिल है जिसमें कहा गया है कि "सीएबी द्वारा नियत अंतिम मूल्य और अपनाए गए मूल्यों से उत्पन्न अंतर को उस वर्ष की बिक्री में समायोजित किया जाता है जिसमें मूल्य नियत किए जाते हैं" और इस प्रकार 'निरंतरता' के मूलभूत लेखांकन अनुमान का उल्लंघन हुआ है। यदि कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक के अपनाए गए मूल्यों का समायोजन किया होता तो 'बिक्री', 'वर्ष के लिए लाभ' और 'व्यापार प्राप्तियों' प्रत्येक में 30.09 करोड़ रुपए की कमी आई होती।

2. कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार, प्रजनन/आधार बीजों के क्रय मूल्य तथा आयोजकों/किसानों से वसूले जाने वाले संबंधित निर्गम मूल्य के बीच के अंतर को 'कार्य प्रगति पर' के रूप में माना गया है। तथापि, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय उत्तर में, 28.80 लाख रुपए के कुल प्रजनन/आधार बीजों की खरीद की तुलना में तथा बुआई के लिए आयोजकों/किसानों को बीजों के संबंधित निर्गम की न तो आयोजकों/किसानों से कोई वसूली की गई है और न ही बही खातों में बीजों के निर्गम मूल्य के लेनदेन को दर्ज किया गया है। आयोजकों/किसानों से निर्गम मूल्य को दर्ज न करने के कारण, 'कार्य प्रगति पर' और संबंधित 'व्यापार प्राप्तियों' के आंकड़ों को बढ़ाकर लिखा गया है। तथापि, पर्याप्त प्रमाणित सूचना के अभाव में, बढ़ाकर लिखी गई राशि की मात्रा को सिद्ध नहीं किया जा सकता।

ख. वस्तुसूची

1. टिप्पणी सं0–16 के अनुसार, वस्तुसूची में 270.37 लाख रुपए (31 मार्च, 2015 के अनुसार 270.70 लाख रुपए) मूल्य के भंडार और अतिरिक्त पुर्जे तथा 153.71 लाख रुपए मूल्य (31 मार्च, 2015 के अनुसार 150.09 लाख रुपए) की पैकिंग सामग्री शामिल है जिसे तीन वर्षों से नहीं उठाया गया है। प्रबंधन द्वारा आवश्यक सूचना उपलब्ध न कराने के अभाव में इसके प्रावधान का पता नहीं लगाया जा सका। इस मामले को 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट में भी दर्शाया गया था।

2. निपटान वर्ष में बेकार/क्षतिग्रस्त सामग्रियों पर लाभ/हानि के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति सं0–7 लेखांकन मानक–2 (वस्तुसूचियों का मूल्यांकन) के अनुरूप नहीं है। लाभप्रदत्ता और वस्तुसूची मूल्य को बढ़ाकर लिखने के इस अनुपालन के प्रभाव का प्रबंधन द्वारा आवश्यक सूचना उपलब्ध न कराए जाने के कारण पता नहीं लगाया जा सका।

3. 'बठिंडा यूनिट' में 6.66 लाख रुपए मूल्य की कच्ची सामग्री की कमी को बही खातों में समायोजित नहीं किया गया है। इस राशि को 'वस्तुसूची स्टॉक' और 'वर्ष के लिए लाभ' में बढ़ाकर लिखा गया है।

ग. व्यापार से प्राप्त आय

1. हमारे विचार में, लम्बे समय से पड़े अपुष्ट बकाया के कारण संदिग्ध वसूली को देखते हुए 731.60 लाख रुपए (31 मार्च, 2015 के अनुसार 737.66 लाख रुपए) की राशि को व्यापार से प्राप्त आय (टिप्पणी सं0–17) का प्रावधान करने की आवश्यकता है। 'वर्ष के लिए लाभ' और 'व्यापार से प्राप्त आय' को 731.60 लाख रुपए की सीमा तक अधिक दर्शाया गया है। इस मामले को 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट में भी दर्शाया गया था।

घ. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

1. ''अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों'' में डी.डी.टी की बिक्री पर मूल्य अंतर के कारण वर्ष 2003–04 और 2005–06 के लिए सीबीईसी से दावा की गई उत्पाद शुल्क की वसूली और वसूली योग्य राशि में 122.35 लाख रुपए शामिल हैं। प्रबंधन ने यह कहा है कि यदि सीबीईसी द्वारा दावा रद्द कर दिया जाता है तो उक्त राशि की स्वास्थ्य मंत्रालय से वसूली की जाएगी। प्रबंधन के कथन को देखते हुए, हम बही खातों में अपेक्षित प्रावधान की मात्रा नहीं बता सकते।

2. वर्ष 1996–97 में कुल 25.81 लाख रुपए के आयकर का प्रावधान किया गया है रु0 14.48 लाख तथा 1997–98 रु0 11.33 लाख अग्रिम करों से कटौती के रूप में नोट सं0–20 के अंतर्गत घोषित राशि को समायोजित किए जाने की जरूरत है। उचित सूचना के अभाव में, 'वर्ष के लिए लाभ' पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

ङ. दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

1. हमारे विचार में, दीर्घावधि बकाया अपुष्ट बकाया के कारण, संदिग्ध वसूली को देखते हुए दीर्घावधि ऋण और अग्रिम (टिप्पणी सं. 13) में शामिल 455.23 लाख रुपए की राशि (31 मार्च, 2015 के अनुसार रु0 404.67 लाख रुपए) का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। ''वर्ष के लिए लाभ'' और ''दीर्घावधि ऋण और अग्रिम'' को 455.23 लाख रुपए तक बढ़ाकर लिखा गया है। इस मामले को 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था।

च. आकस्मिक देनदारियां

1. टिप्पणी सं0–29: 'आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं' (जिनका प्रावधान न किया गया हो) में 50% डी.डी.टी तथा मैलाथियॉन तकनीकी की आपूर्ति करने पर मूल्य अंतर के कारण उत्पाद शुल्क के विलंब से किए गए भुगतान में उत्पादन विभाग का वर्ष 2001–02 से 2012–13 तक की अवधि के लिए विभिन्न वर्षों से संबंधित 775.23 लाख रुपए का ब्याज शामिल है। कंपनी ने वर्ष 2001–02 से 2004–05 तक

तथा 2011–12 से 2012–13 तक की अवधि से संबंधित 435.68 लाख रुपए की ब्याज की मांग के खिलाफ विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष अपील दायर की है लेकिन शेष वर्षों के लिए 340.15 लाख रुपए के लिए किसी अपील की मांग नहीं की है। 340.15 लाख रुपए की मांग संबंधी किसी अपील के अभाव में, इसकी मान्यता–प्राप्त देयता के रूप में उल्लेख किया गया है जिसे 'वर्ष के लिए लाभ' के रूप में बढ़ाकर लिखा गया है और 'अन्य वर्तमान देनदारियों' को उस सीमा तक कम आंका गया है। 'आकस्मिक देनदारियों' को भी 340.15 लाख रुपए अधिक लिखा गया है।

2. वर्ष 2001–02 से 2010–11 की अवधि के लिए उत्पाद विभाग द्वारा मांगे गए दण्ड से संबंधित 827.39 लाख रुपए की आकस्मिक देनदारी का खुलासा नहीं किया गया है।

3. 'रसायनी यूनिट' को छोड़कर, पिछले वर्षों के लिए एकत्रित किए जाने वाले लंबित सांविधिक फार्मों पर केन्द्रीय बिक्री कर के संबंध में आकस्मिक देनदारी का खुलासा नहीं किया गया है। सूचना के अभाव में, देनदारी की राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

4. कंपनी को टिप्पणी सं0–36 के अंतर्गत अनुसूचित अनुसार विवादित आयकर आकलन के संबंध में दण्ड सहित आयकर के लिए कोई आकस्मिक देनदारी नहीं देनी है। सूचना के अभाव में, राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

5. कंपनी ने योजना ऋणों की स्वीकृति की निबंधन एवं शर्तों को देखते हुए केन्द्र सरकार से लिए जाने वाले आवश्यक योजना ऋण के पुनर्भुगतान में चूक पर 2.75% की दर से दंड ब्याज लगाने और इस पर देय सामान्य ब्याज के लिए भारत सरकार के अधिकार के संबंध में आकस्मिक देनदारी को मान्यता नहीं दी है। 31 मार्च, 2016 को तुलन–पत्र में योजना ऋण की मूल कीमत और उस पर देय ब्याज क्रमशः 4,084.40 लाख रुपए तथा 1,417.33 लाख रुपए है और योजना ऋण की मूल कीमत और उस पर देय ब्याज, जिस पर कंपनी ने पुनर्भुगतान/अदायगी में चूक की है, वह क्रमशः 2,720.40 लाख रुपए और 1,417.33 लाख रुपए है। दंड ब्याज की राशि की गणना के संबंध में पर्याप्त सूचना के अभाव में, आकस्मिक देनदारी की राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

छ प्रस्तुति

1. टिप्पणी सं0–13 के अंतर्गत 'अन्य ऋण और अग्रिम (संदिग्ध)' के आंकड़े तथा इस पर किए गए संबंधित प्रावधान दोनों को 25.81 लाख रुपए बढ़ाकर लिखा गया है। तथापि, बढ़ाकर लिखी गई इस राशि का 'वर्ष के लिए लाभ' पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. वर्ष के दौरान 17.10 लाख रुपए के भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के प्रावधान को लाभ और हानि (टिप्पणी सं.27) के विवरण में संदिग्ध ऋण/दावों के प्रावधान के अनुसार अनुपयुक्त रूप से दर्शाया गया है। तथापि, इसे अनुपयुक्त रूप से दर्शाए जाने का 'वर्ष के लिए लाभ' पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

3. टिप्पणी सं0–16 (वस्तुसूची) के अंतर्गत, 157.37 लाख रुपए (31 मार्च, 2015 के अनुसार 140.27 लाख रुपए) के प्रावधान को समायोजित करने के बाद 737.24 लाख रुपए (31 मार्च, 2015 के अनुसार 835.07 लाख रुपए) के भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक को दर्शाया गया है। तथापि, इसे अनुपयुक्त रूप से दर्शाए जाने का 'वर्ष के लिए लाभ' पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

झ. अन्य

1. 31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन–पत्र में 'क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय उत्तर' में बीज उत्पादन कार्यकलाप के समक्ष आयोजकों/किसानों को 104.51 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान दर्शाया गया है जिसमें से 103.76 लाख रुपए एक वर्ष से अधिक से की गई खरीद की राशि का समायोजन किया जाना शेष है। हम आयोजकों/किसानों से संबंधित पुष्टि आदि के अभाव में 31 मार्च, 2016 को मूल राशि के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप, हम यह निर्धारित नहीं कर सके कि क्या इन राशियों का कोई समायोजन करना आवश्यक था।

2. 31 मार्च, 2016 के अनुसार 'अलवॉय यूनिट' में उत्पाद रिकार्डों का पुनः समायोजन किए जाने की जरूरत है। सूचना के अभाव में, वित्तीय विवरण, यदि कोई हों, पर परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

3. हम प्रशासनिक विभाग द्वारा रखे गए उपयुक्त छुट्टी रिकार्ड के अभाव में मुख्यालय में कर्मचारियों द्वारा ली गई छुट्टी की संख्या के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, बीमांकिक मूल्यांकन के लिए बीमांकिक हेतु उपलब्ध कराई गई छुट्टी के संबंध में सूचना उपयुक्त नहीं होगी और लेखाओं में छुट्टी वेतन के लिए किए गए प्रावधान की राशि का समायोजन किए जाने की आवश्यकता होगी। सूचना के अभाव में, लाभ पर समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका।

4. व्यापार प्राप्तियों के अंतर्गत बकाया, ऋण और अग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां, व्यापार देनदारियां तथा अन्य वर्तमान देनदारियां पुष्टि/पुनः समायोजन के अधीन हैं। ऐसी पुष्टि/पुनः समायोजन पर परिणामी समायोजन का खाते पर वास्तविक प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका।

5. कंपनी विभिन्न जोखिम प्रोफाइल वाले बीजों और डी.डी.टी सहित कृषि उत्पादों में लेन–देन करती है जिसके लिए लेखाकरण मानक– 17 (सेगमेंट–रिपोर्टिंग) के तहत कारोबार

खण्डों के अनुसार राजस्व और परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का प्रकटीकरण अपेक्षित होता है। तथापि, नोट सं0–37 के अनुसार कंपनी यह दावा करती है कि कंपनी एक खण्ड में अर्थात कृषि उत्पादों, कीटनाशकों और उर्वरकों के क्षेत्र में ही लेन देन करती है, इसलिए लेखाकरण मानक – 17 (खण्ड रिपोर्टिंग) लागू नहीं होता है।

6. कंपनी ने लेखाकरण मानक – 22 (आय पर करों के लिए लेखाकरण) के अनुसार आस्थगित कर परिसम्पत्ति/देयता सृजित नहीं की हैं।

7. कंपनी ने लेखाकरण मानक – 29 द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है। (प्रावधान आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ)

ज. प्रभाव विश्लेषण

1. पर्याप्त सूचना के अभाव में, हम लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार अथवा 31 मार्च, 2016 की बैलेंस शीट के अनुसार वर्ष के लाभ पर मद सं. क–2, ख–1, घ–1, घ–2 और ज–1 के संभावित प्रभाव के संबंध में टिप्पणी देने में असमर्थ हैं। पैरा च–2, च–3, च–4, च–5, छ–1, छ–2 तथा छ–3 का वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं है। पैरा ज–2, ज–3 और ज–4 आंतरिक नियंत्रण से संबंधित हैं। पैरा ख–2, ज–5, ज–6और ज–7 लेखाकरण मानकों के अनुपालन से संबंधित हैं।

2. हम यह भी सूचित करते हैं कि चूँकि ऊपर पैराग्राफ झ–1 में उल्लिखित मदों पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन पर ध्यान दिए बिना यदि ऊपर पैराग्राफ क से ज तक में 'नकद प्रवाह विवरण' पर परिणामी प्रभाव को छोड़कर हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता तो 230.69 लाख रू0 कर से पूर्व चालू लाभ 4,311.95 लाख रू0 की हानि में बदल जाता तथा 182.80 लाख रू0 का सतत परिचालनों से प्राप्त लाभ 4359.84 लाख रू0 की सतत परिचालनों से होने वाली हानि में बदल जाता।

   आरक्षित एवं अधिशेष (सूचित किए 222.12 लाख रू0) के स्थान पर (–) 4,320.52 लाख रू0 होते। प्राप्य व्यापार (सूचित किए गए 20,024.16 लाख रू0) के स्थान पर 16,283.56 लाख रू0 होता। दीर्घ कालिक ऋण एवं अग्रिम 206.59 लाख रू0 (सूचित 661.82 लाख रू0 के स्थान पर) होते, मालसूचियों की राशि 7,980.71 लाख रू0 (सूचित 7,987.37 लाख रू0 के स्थान पर) होते, अन्य चालू देयताएं 8,133.02 लाख रू0 (सूचित 7,792.87 लाख रू0 के स्थान पर) होते, आकस्मिक देयताएं 10,907.39 लाख रू0 (सूचित 11,247.54 लाख रू0 के स्थान पर) होते।

अपेक्षित राय

1. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त पैरा ''परिसीमित राय के लिए आधार'' में वर्णित मामलों के प्रभावों और/अथवा संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित नीति में मिलती है ओर इनसे 31 मार्च, 2016 को कंपनी के कार्यों की स्थिति, और उस तारीख में समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ एवं इसकी नकदी प्रवाह का सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक और उचित चित्र प्रदर्शित होता है।

अन्य मामले

1. हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल सात शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण/सूचना से 31 मार्च, 2016 को 26,279.83 लाख रू0 की कुल परिसंपत्तियाँ और उस तारीख में समाप्त वर्ष के लिए 28,939.98 लाख रू0 के कुल राजस्व प्रतिबिंबित होता है, जैसाकि वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं, और जहाँ तक इसका इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण का संबंध है, हमारी राय केवल उक्त शाखा लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट पर आधारित है।

2. 31 मार्च, 2015 को समाप्त गत वर्ष के निम्नलिखित तुलनात्मक समरूपी आंकड़े 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में पुनः उल्लिखित किए गए आंकड़ों के तुलनीय नहीं है।

नोट सं0	विवरण	31.03.2016 को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार समरूपी आंकड़े	31.03.2015 को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आंकड़े
13	**अन्य ऋण एवं अग्रिम** अप्रतिभूत, खरे समझे गए	510.49	536.30
20	**अन्य चालू परिसम्पत्तियां** अग्रिम कर	206.22	180.41
13	अन्य ऋण एवं अग्रिम संदिग्ध	62.89	37.09
	घटाइयेः संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	62.89	37.09

3. ''अपेक्षित राय के आधार'' में उपरोक्त पैराग्राफ ख–2, घ–1, च–2, च–3, च–4, ज–3, ज–4, ज–5, ज–6 और ज–7 में वर्णित मामलों पर 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की हमारी रिपोर्ट में भी राय दी गई थी।

4. 31 मार्च, 2016 को प्राप्य व्यापार का रखा गया मूल्य 20,024.16 लाख रु0 (31 मार्च, 2015 को 16,258.30 लाख रु0) में विविध

देनदारियां की तीन वर्ष से अधिक बकाया राशि 2,945.44 लाख रु0 (31 मार्च, 2015 को 2,452.53 लाख रु0) सम्मिलित है, जिसमें सरकारी संस्थाओं से 2,213.84 लाख रु0 (31 मार्च, 2015 को 1,714.87 लाख रु0) और अन्यों से प्राप्य : 731.60 लाख रु0 (31 मार्च, 2015 को 737.66 लाख रु0) हैं।

5. लेखाकरण–720 के मानक (लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के दस्तावेजों में अन्य सूचना के संबंध में लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी) के संदर्भ में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(9) के शर्तानुसार हम लेखाकरण मानकों की प्रयोज्यता के संबंध में पैरा 20 (निदेशक की जिम्मेदारी में दिए गए विवरण) और निदेशकों की रिपोर्ट के पैरा 29 (सरकारी जमा) और ''अपेक्षित राय के आधार'' पर लेखाकरण मानक के अनुपालन के संबंध में हमारी राय के अंतर्गत पैरा ख–2, ज–5, ज–6 और ज–7 के तहत और कंपनीज (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैरा (V) के तहत सरकारी जमा के संबंध में दिए गए विवरण के मध्य असंगतता की रिपोर्ट देते हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय को आशोधित नहीं किया जाता है।

अन्य कानूनी एवं विनियात्मक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 11 के शर्तानुसार जारी कंपनीज (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (''आदेश'') तथा कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच की आधार पर जैसा हमें उचित लगा तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी आदेश के पैरा 3 एवं 4, कंपनी पर लागू सीमा तक विनिर्दिष्ट मामलों पर ''संलग्नक– क'' में विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित और ऊपर ''अपेक्षित राय के लिए आधार'' में किए गए प्रकटीकरणों के शर्ताधीन और उपरोक्त संलग्नक– क में दी गई टिप्पणियों के अनुसार, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :–

क. हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ख. उपरोक्त पैराग्राफ ''अपेक्षित राय के आधार पर'' में वर्णित मामलों के प्रभावों अथवा संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कंपनी द्वारा विधि के अनुसार यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिकाएं रखी गई हैं जैसाकि इन लेखा पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारे द्वारा अनिरीक्षित शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं।

ग. विविध शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखा परीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों की लेखा संबंधी रिपोर्ट हमें भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उस पर भलीभांति कार्रवाई की गई है।

घ. इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा अनिरीक्षित शाखाओं से प्राप्त लेखा पुस्तिकाओं तथा विवरणियों से मेल खाते हैं।

ङ. हमारी राय में ''अपेक्षित राय के लिए आधार'' उपरोक्त में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के साथ पठित नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

च. उपरोक्त पैराग्राफ ''अपेक्षित राय के लिए आधार'' में वर्णित मामले और पहचान किए गए दो वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर 'अनुलग्नक–ख' में हमारी रिपोर्ट में सूचित, हमारी राय में कंपनी के कामकाज पर एक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

छ क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ई), अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) की शर्तानुसार लागू नहीं है।

ज. लेखा और अन्य मामलों के रख–रखाव से संबंधित राय उपरोक्त पैराग्राफ ''अपेक्षित राय के लिए आधार'' के अनुसार हैं।

झ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रभाविकता के संचालन के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट ''अनुलग्नक – ख'' पर देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की संचालन प्रभावकारिता को व्यक्त करती है।

ञ. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है :–

(I) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति से संबंधित लंबित वादों के प्रभाव के निर्धारण के लिए पर्याप्त विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है।

(ii) कंपनी ने दीर्घकालिक संविदाओं और अमौलिक संविदाओं के संबंध में महत्वपूर्ण पूर्व ज्ञातव्य नुकसानों के लिए यदि कुछ हो, लागू कानून अथवा लेखाकरण मानकों के तहत यथा अपेक्षित प्रावधान के निर्धारण के लिए पर्याप्त विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है।

(iii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के लिए कोई राशि स्थानांतरित नहीं की है। हमारी राय में

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन के तहत की गई व्याख्या के अंतर्गत परिपक्व जमा हैं, जो 7 वर्ष के अधिक समय से

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक– क

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के सदस्यों को उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियात्मक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें, इस संबंध में हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है:

(I) इसकी नियत परिसम्पत्तियों के संबंध में

(क) कंपनी ने अलवॉय शाखा, जहाँ नियत परिसंपत्तियों की न तो संख्या और न ही स्थान का पता चला है, को छोड़कर नियत परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरणों और मात्रात्मक विस्तृत ब्यौरों एवं स्थिति को दर्शाते हुए यथोचित रिकार्ड रखे हैं।

(ख) जैसाकि हमें स्पष्ट किया है, नियत परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिसमें, हमारी राय में प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय (उत्तर) और अलवॉय शाखा के मामलों को छोड़कर सभी नियत परिसंपत्तियों के युक्ति संगत अंतरालों पर प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त सत्यापन में कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई है। हम यह भी सूचित करते हैं कि बठिंडा यूनिट के मामले में, प्रयोगशाला विभाग और प्रशासनिक विभाग की स्थिर परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई जांच और हमें प्रदान किए गए पंजीकृत विलेख/अंतरित विलेख/हस्तांतरण विलेख की जांच के आधार पर हम सूचित करते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख को शीर्ष विलेख, भूमि और अधिग्रहित इमारतें, जो फ्रीहोल्ड हैं तथा सभी अचल परिसम्पत्तियां कंपनी के नाम पर हैं। भूमि की अचल परिसम्पत्तियों के संबंध में जो पट्टे तथा वित्तीय विवरणों में स्थिर परिसम्पत्तियों के रूप में दर्शायी गई हैं, पट्टे का एग्रीमेंट कंपनी के नाम पर है, जहां कंपनी एग्रीमेंट में पट्टाधारी है।

(ii) माल सूची के संबंध में:

जैसाकि हमें सूचित किया गया है, तैयार माल, अर्ध निर्मित माल, भण्डार, अतिरिक्त पुर्जो तथा कच्ची सामग्रियों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रबंधन द्वारा अलवॉय शाखा को छोड़कर, जहां पर भंडार एवं अतिरिक्त और खुले औज़ार सत्यापित नहीं किए गए हैं, को छोड़कर उचित अंतरालों पर किया गया था। हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपनी माल सूची का क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय कोलकाता, जहां प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान स्टॉक विसंगतियां पाई गई हैं तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ ''अपेक्षित राय के लिए आधार'' में उल्लेख किए गए स्टॉकों का बही के रिकॉर्डों से मिलान करके प्रत्यक्ष सत्यापन पर विसंगतियां पाई गई थी, को छोड़कर रिकॉर्ड पर कोई विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत नहीं दिया है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश और दी गई गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार लागू हैं, का अनुपालन किया है।

(v) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सदस्यों और पब्लिक से स्वीकर किए गए जमाओं के संबंध में यथा लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 में दिए गए उपबंधों ओर अन्य संगत उपबंधों तथा कंपनीज (जमा की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के उपबंधों का पालन नहीं किया है। हमारी राय में लम्बे समय से विविध पार्टियों/संविदाकारों से प्रतिभूति जमा के संबंध में देय प्रतिभूति जमाओं का कंपनी ने पुनर्भुगतान नहीं किया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 का उल्लंघन है। प्रबंधन से विस्तृत ब्यौरा और स्पष्टीकरणों के अभाव में, हम उक्त देय अवधिपूर्ण जमाओं की राशि की मात्रा बताने में असमर्थ हैं। हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इन जमा राशियों के संबंध में कंपनी विधि बोर्ड अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अथवा रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) लागत रिकॉर्ड का रख–रखाव कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के तहत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं। हमने कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 148(।) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे गए लागत के रिकार्डों की विस्तृत समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत रिकार्ड तैयार करके रखे गए हैं। तथापि, यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या वे रिकार्ड सही अथवा पूर्ण हैं, हमने इन रिकार्डों की

विस्तृत जांच नहीं की है।

(vii)सांविधिक देय राशियों के संबंध में:

(क) कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी सामान्यतः अविवादित सांविधिक देय राशियां, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.), आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर (वैट), उपकर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों को नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करती आ रही है और जिस संबंधित वित्त की अंतिम तारीख को वे राशियां देय होती हैं उस तारीख से 6 माह से अधिक अवधि तक कोई भी महत्वपूर्ण सांविधिक राशि बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर अथवा बिक्री कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर कोई विवादास्पद राशि देय नहीं है, निम्नलिखित को छोड़कर:–

(I) अलवॉय यूनिट और क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, कोलकाता और नागपुर के मामले, जिनके विवरण अनुसूची–क पर संलग्न हैं; और

(ii) प्रधान कार्यालय के संबंध में आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि के लंबित मामलों का ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं किया गया है।

(viii) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंकों के ऋणों अथवा उधार की चूकौती में कंपनी ने कोई चूक नहीं की है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण अथवा उधार नहीं ली है और न हीं कोई डिबेंचर जारी किया है। तथापि कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सरकार के ऋण के भुगतान की शर्तों में चूक की है:

जिस वर्ष में चूक हुई	चूक की राशि (लाख में)
2011-12	499.00
2012-13	499.00
2013-14	580.00
2014-15	580.00
2015-16	562.00
कुल	2,720.00

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक प्रस्ताव या आगामी पब्लिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) के जरिए धनराशि नहीं जुटाई है। हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आवधिक ऋण द्वारा जुटाई गई राशि को कंपनी द्वारा जिस प्रयोजन या उपयुक्त अनुमोदन, यदि कोई हो, सहित संशोधित प्रयोजनों हेतु लिया गया था, का अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। गैर–उपयोग का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

जुटाई गई निधि की प्रकृति	चूक का ब्यौरा (कारण विलंब)	राशि (रुपए)	तत्पश्चात् संशोधित तथा ब्यौरा
सरकार से योजना ऋण	जुटाई गई निधियां जिनका विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है	13,32,13,214.00	नहीं

(x) हमारी उत्कृष्ट जानकारी तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान सामग्री में कोई धोखाधड़ी करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(xi) चूंकि कंपनी सरकारी कंपनी है, अतः कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं0 जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित खण्ड 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इसलिए आदेश के पैरा 3 के खण्ड (xi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के पैरा 3 के खण्ड (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xiii) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में, जहां लागू हो, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन तथा संबंधित पार्टी लेनदेन के ब्यौरे को लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार वित्तीय विवरणों आदि का खुलासा किया गया है।

(xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं लिए हैं।

(xv) हमारे विचार में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xvi)कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–I के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते एसएसएआर एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं. 004739एन)

सी.ए. संजय कुमार अग्रवाल
भागीदार
(सदस्यता संख्याः 090834)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08–09–2016

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र–लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक– ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट (''अधिनियम'')

हमें 31 मार्च, 2016 के अनुसार इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के अनुसार हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड (''द कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा–परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड की तुलना में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय को व्यवस्थित करने और दक्ष आचरण सुनिशचित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की पर्याप्तता और पूर्णतः तथा कपंनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल था।

लेखा–परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा–जोखा पर लागू सीमा तक वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन टिप्पणी'') तथा लेखांकन मानकों के अनुसार की गई हमारी लेखा–परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में कंपनी को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करना है।

नीचे राय पैराग्राफ के अस्वीकरण में उल्लिखित मामले के कारण, हम कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर लेखा–परीक्षा विचार का एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रूपरेखा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर लेखांकन सिद्धांत के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जोः

(1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित है, जो तर्कसंगत ब्यौरा के आधार पर कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को उचित और सही ढंग से प्रदर्शित करता है;

(2) तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराता है कि लेनदेन को सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकता अनुसार रिकार्ड किया जाता है, तथा यह कि कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अर्जन का समय पर पता लगाने, उपयोग तथा निपटान करने के लिए उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराना, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

मत अस्वीकरण

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के आधार पर या वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना नहीं की है। इस कारण से, हम अपने मत के लिए यह आधार उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था और क्या ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 को प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहा था।

हमने कंपनी की 31 मार्च, 2016 के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा–परीक्षा में लागू लेखा–परीक्षा जांच के स्वरूप, समय और सीमा का पता लगाने में ऊपर सूचित अस्वीकरण पर विचार किया है और अस्वीकरण ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार को

प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर अपेक्षित मत जारी किया है।

कृते एसएसएआर एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं0 004739एन)

सी.ए. संजय कुमार अग्रवाल
भागीदार
(सदस्यता सं0 090834)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः08–09–2016

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा संख्या 143 (5) के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2015–16 के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक – I

वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत दिए गए निर्देशः

1. **क्या कंपनी का फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि पर क्रमशः स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीज़होल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए अधिकार/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।**

   जी हां, कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख है।

2. **क्या लेनदार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने आदि का कोई मामला हुआ है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसमें कितनी राशि शामिल थी।**

   जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, वर्ष के दौरान लेनदारों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

3. **क्या तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी मालसूचियोंका उचित रिकॉर्ड रखा गया है और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से कोई उपहार/अनुदान के रूप में परिसंपत्तियां प्राप्त की गई हैं।**

   जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, कंपनी का तृतीय पक्षकारों के पास कोई स्टॉक नहीं है और कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकारियों से कोई उपहार प्राप्त नहीं हुआ है।

कृते एसएसएआर एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं0 004739एन)

सी.ए. संजय कुमार अग्रवाल
भागीदार
(सदस्यता सं0 090834)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः08–09–2016

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा संख्या 143 (5) के अन्तर्गत दिए गए उप निर्देशों के अनुसार वर्ष 2015–16 के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक –II

विषयः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत वर्ष 2015–16 के लिए निर्देश।

1. कर्मचारी हितलाभ

अभिलेखी द्वारा दी गई सूचना/इनपुट अर्थात कर्मचारियों की संख्या, औसतन वेतन, सेवानिवृत्ति आयु और सेवा निवृत्ति हित लाभ अर्थात उपदान, छुट्टी नकदीकरण, सेवा–निवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाओं इत्यादि की देयताओं के लिए प्रावधान प्राप्त करने के लिए छूट दर, भविष्य लागत वृद्धि, मृत्यु दर इत्यादि से संबंधित अभिलेखी द्वारा किए गए पूर्वानुमानों का स्वतंत्र सत्यापन किया जाए ।

हमने अभिलेखी द्वारा दी गई सुचना/इनपुट्स अर्थात कर्मचारियों के संख्या, औसतन वेतन, सेवानिवृत्ति आयु और सेवा निवृत्ति हितलाभ की देयताओं के लिए प्रावधान प्राप्त करने के लिए छूट दर, भविष्य लागत वृद्धि, मृत्यु दर, इत्यादि से संबंधित अभिलेखी द्वारा किए गए पूर्वानुमानों की स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया है और सूचित करते हैं कि अभिलेखी द्वारा दी गई सूचना/इनपुट इत्यादि सही और पूर्ण थे, कंपनी के प्रधान कार्यालय के छुट्टी से संबंधित रिकार्ड को छोड़कर, जिसके लिए कृपया स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के ''अपेक्षित राय के लिए आधार'' के 'पैरा ज–3' को देखें।

कृते एसएसएआर एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं0 004739एन)

सी.ए. संजय कुमार अग्रवाल
भागीदार
(सदस्यता सं0 090834)

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 08–09–2016

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एच.आई.एल. के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और प्रबन्धन का जवाब

	टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का जवाब
1.	राजस्व {रिपोर्ट के पैरा – क (1)}	नोट सं0 40 में उचित प्रकटीकरण किया गया है। सुधारक कार्रवाई भारत सरकार से निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी।
2.	वस्तुसूचियां {रिपोर्ट के पैरा –ख (2) और (3)}	सुधारक कार्रवाई चालू वर्ष में की जाएगी।
3.	प्राप्य व्यापार {रिपोर्ट के पैरा – ग (1)}	कोई ऋण संदिग्ध है या नहीं, यह तय करने के लिए केवल ऋण की अवधि एक मात्र मापदण्ड नहीं है। विभिन्न कारक – जैसे साख, बाजार में पार्टी की स्थिति, विपणन स्टाफ की प्रतिक्रिया, और वसूली की संभावना भी यह तय करने वाला बिन्दु है कि ऋण को अशोध्य और संदिग्ध माना जाए।
4.	अन्य चालू परिसम्पत्तियां {रिपोर्ट के पैरा – घ (1)}	अन्तर संबंधी उत्पाद शुल्क की वापसी के दावे सी.बी.ई.सी / स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्य हैं।
5.	अन्य चालू परिसम्पत्तियां {रिपोर्ट के पैरा –घ (2)}	चालू वर्ष में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
6.	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम {रिपोर्ट के पैरा – ङ (2)}	ऋणों और अग्रिमों पर टिप्पणियाँ संदिग्ध / गैर वसूलनीय की रूप में केवल अनुमानों के आधार पर हैं। जब भी संदिग्ध / गैर वसूलनीय के लिए प्रावधान अपेक्षित होता है, लेखा बही में प्रावधान किया जाता है।
7.	आकस्मिक देयताएं {रिपोर्ट के पैरा – छ (1)}	टिप्पणी के अधीन ब्याज़ की राशि 31.03.2016 को ऋण / देयताएं स्पष्ट नहीं थे, इसलिए, उन्हें कंपनी के दावे के रूप में दिखाया गया है। आकस्मिक देयताओं के अधीन ऋण के रूप में नहीं माना गया है। यदि कोई कार्रवाई हुई, उत्पाद विभाग के आदेश के आधार पर की जाएगी।
8.	आकस्मिक देयताएं {रिपोर्ट के पैरा – छ (5)}	ऋण का भुगतान न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पैनल ब्याज़ का भार सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है।
9.	प्रस्तुतीकरण एवं अन्य {रिपोर्ट के पैरा – ज और झ}	नोट किया गया।
10.	परिशिष्ट क	नोट किया गया।
11.	परिशिष्ट ख	जैसा कि आई.एफ.सी. अवधारणा वर्ष 2015–16 के दौरान लागू हुई है, पहला वर्ष होने के नाते, हम इसका अनुपालन आंशिक रूप से कर पाए हैं। भविष्य में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

वार्षिक लेखा
2015–16

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र
सीआईएन–यू24211डीएल1954जीओआई002377

(रु0 लाख में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I इक्विटी तथा देयताएं			
1 अंशधारियों की निधि			
क) शेयर पूँजी	1	**9133.24**	9133.24
ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	**222.12**	123.23
2 आबंटन के समय शेयर उपयोगी धन			
3 गैर चालू देयताएं			
क) दीर्घावधि ऋण	3	**982.00**	1364.00
ख) अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	4	**727.73**	529.61
ग) दीर्घावधि प्रावधान	5	**2862.74**	3002.27
4 चालू देयताएं			
क) अल्पावधि ऋण	6	**8072.18**	5931.32
ख) व्यापार देय	7	**6325.36**	7307.12
ग) अन्य चालू देयताएं	8	**7792.87**	7346.19
घ) अल्पावधि प्रावधान	9	**908.17**	974.00
जोड़		**37026.42**	35710.98
II परिसम्पत्तियॉं			
1 गैर वर्तमान परिसम्पत्तियॉं			
क) स्थिर परिसम्पत्तियॉं			
i) ठोस परिसम्पत्तियॉं	10	**4392.50**	4234.99
ii) अमूर्त परिसम्पत्तियॉं	11	**0.00**	0.00
iii) पूँजीगत कार्य प्रगति पर		**1135.86**	940.05
ख) गैर वर्तमान निवेश	12	**5.20**	5.20
ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	**661.82**	647.41
घ) अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियॉं	14	**109.00**	122.18
2 चालू परिसम्पत्तियॉं			
क) वर्तमान निवेश	15	**0.00**	0.00
ख) वस्तुसूचियॉं	16	**7987.37**	10847.28
ग) प्राप्य व्यापार	17	**20024.16**	16258.30
घ) नकद एवं नकद समतुल्य	18	**856.46**	751.61
ड़) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	19	**718.87**	624.06
च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	20	**1135.18**	1279.90
जोड़		**37026.42**	35710.98

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार एस एस ए आर एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखापाल एफ आर एनः 004739 एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(आर. धीमान)	**(जी. नाथ)**	**(वी. मुराली)**	**(एस.पी मोहन्ती)**	**(सीए संजय कुमार अग्रवाल)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वि. एवं ले.)	निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
		डीआईएनः00730218	डीआईएनः05336787	सदस्यता सं0 090834

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः29.08.2016

दिनांकः 08.09.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि लेखा
सीआईएन–यू24211डीएल1954जीओआई002377

(रु0 लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
	राजस्व			
I	परिचालनों से राजस्व	21	**32030.37**	32042.54
II	अन्य आय	22	**284.38**	375.78
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**32314.75**	32418.32
IV	**व्यय**			
क)	खपत की गई सामग्री की कीमत	23	**10667.14**	14390.73
ख)	तैयार माल की वस्तुसूचियों, चालू कार्य तथा विक्रय स्टॉक में बदलाव	24	**1740.64**	(2675.12)
ग)	रोजगार हितलाभ व्यय	25	**10331.25**	11041.59
घ)	वित्त लागत	26	**1263.81**	1024.17
ड़)	मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	10	**495.85**	502.36
च)	अन्य खर्च	27	**7309.45**	8023.39
	कुल खर्च		**31808.14**	32307.12
V	**असाधारण एवं असामान्य मद से पूर्व लाभ**		**506.62**	111.20
VI	असाधारण मद	28	**-275.93**	92.12
VII	**असाधारण मद से पूर्व लाभ**		**230.69**	203.32
VIII	असामान्य मद		**0.00**	0.00
IX	कर से पूर्व लाभ		**230.69**	203.32
X	सतत परिचालन के कर खर्च		**47.89**	43.59
XI	सतत परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/हानि		**182.80**	159.73
XII	असतत परिचालनों से लाभ/हानि		**0.00**	0.00
XIII	**असतत परिचालनों पर कर खर्च**		**0.00**	0.00
XIV	**कर पश्चात् असतत परिचालनों से लाभ/हानि**		**0.00**	0.00
XV	**अवधि के लिए लाभ/हानि (कर पश्चात् लाभ)**		**182.80**	159.73
XVI	**प्रति शेयर बेसिक आय**		**20**	17
XVII	**प्रति शेयर डिलूटड आय**		**20**	17

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार एस एस ए आर एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखापाल एफ आर एनः 004739 एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(आर. धीमान)	**(जी. नाथ)**	**(वी. मुराली)**	**(एस.पी मोहन्ती)**	**(सीए संजय कुमार अग्रवाल)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वि. एवं ले.)	निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
		डीआईएनः00730218	डीआईएनः05336787	सदस्यता सं0 090834

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः29.08.2016

दिनांकः 08.09.2016

नकद प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रु0 लाख में)

	विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
1	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	परिचालनों से निधि		
	क. कर तथा असाधारण मदों से पूर्व लाभ	**230.69**	203.32
	ख. जोडिए:		
	– आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश/उपदान/छुट्टी वेतन/बोनस/कर(निवल) के लिए प्रावधान	**740.95**	843.83
	– ब्याज खर्च	**1263.81**	1024.17
	– उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	**15.99**	95.21
	– संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**55.78**	104.49
	– परिसम्पत्तियों के बट्टे खाते डालने पर हानि	**0.00**	10.67
	– मूल्यह्रास	**495.85**	502.36
	– असाधारण मद – पूर्व अवधि मूल्यह्रास	**-6.07**	0.00
	उप जोड़ ख	**2566.31**	2580.73
	ग. घटाइए:		
	– बैंक ब्याज	**-0.96**	-1.63
	– स्टाफ एवं अन्यों से ब्याज	**-12.14**	-18.49
	– परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	**-0.69**	0.00
	– प्रदत्त कर	**-45.60**	-38.93
	– संदिग्ध ऋण दावे एवं अन्य वसूलियां/प्रतिलेखित किए गए	**-8.48**	-0.99
	उप जोड़ ग	**-67.87**	-60.04
	घ. कार्यशील पूँजी बदलावों से पूर्व परिचालन लाभ (क+ख+ग)	**2729.13**	2724.01
	ड. कार्यशील पूँजी बदलाव		
	– वस्तुसूची में (वृद्धि)/कमी	**2843.91**	-4170.66
	– ट्रेड प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	**-3821.64**	2865.91
	– अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	**-86.34**	-386.06
	– अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**60.83**	-363.34
	उप जोड़ ड	**-1003.24**	-2054.15
	च. वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी		
	– देय व्यापार में (वृद्धि)/कमी	**-981.76**	737.96
	– अन्य वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी	**446.67**	600.07
	उप जोड़ च	**-535.09**	1338.03
	छ. कार्यगत पूँजी में बदलाव (ड+च)	**-1538.33**	-716.12
	निवेशन गतिविधियों से नकदी (घ+छ)	**1190.80**	2007.89
2	निवेशन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	– स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री	**0.69**	0.00
	– स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद/पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	**-843.10**	-577.99
	– उपदान ट्रस्ट में निवेश	**-1453.35**	-930.53
	– बैंक ब्याज	**0.96**	1.63

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
– स्टाफ एवं अन्यों से ब्याज	**12.14**	18.49
– उपदान निधि पर ब्याज	**504.75**	505.29
– दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	**-14.40**	-71.75
– अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**13.17**	102.01
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह	**-1779.14**	-952.85
3 वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
– दीर्घावधि ऋणों में (वृद्धि)/कमी	**-382.00**	938.00
– अन्य दीर्घावधि देयताओं में (वृद्धि)/कमी	**198.12**	-127.14
– अल्पावधि ऋणों में (वृद्धि)/कमी	**2140.87**	-509.22
– ब्याज खर्च	**-1263.81**	-1024.17
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	**693.18**	-722.53
नकद एवं नकद समतुल्य में वृद्धि/(कमी)	**104.85**	332.52
नकद एवं नकद समतुल्य प्रारम्भिक शेष	**751.61**	419.09
नकद एवं नकद समतुल्य अन्तिम शेष	**856.46**	751.61

नकद प्रवाह विवरण की टिप्पणियॉ
नकद एवं नकद समतुल्य में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

	31.03.2016 तक राशि रू0	31.03.2015 तक राशि रू0
बैंक शेष	**545.25**	725.96
गारन्टी	**23.21**	21.56
लियन के अधीन एफ डी आर	**0.00**	1.33
पास में चैक	**283.11**	0.00
पास में नकद	**4.85**	2.70
अन्य (स्टाम्प/पेशगी)	**0.04**	0.06
जोड़	**856.46**	**751.61**

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार एस एस ए आर एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखापाल एफ आर एनः 004739 एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(आर. धीमान)	**(जी. नाथ)**	**(वी. मुराली)**	**(एस.पी मोहन्ती)**	**(सीए संजय कुमार अग्रवाल)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वि. एवं ले.)	निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
		डीआईएनः00730218	डीआईएनः05336787	सदस्यता सं0 090834

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः29.08.2016

दिनांकः 08.09.2016

वित्तीय विवरण टिप्पणियां

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
नोट सं0 1: शेयर पूँजी		
क) प्राधिकृत निर्गमित अभिदत्त तथा प्रदत्त शेयर और प्रति शेयर अधिमूल्य		
प्राधिकृत शेयर पूँजी		
1000/– रू0 प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर	**10000.00**	10000.00
(गत वर्ष 1000/– रू0 प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर)		
निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्तः		
1,000/– रू0 के 9,13,324 इक्विटी शेयर	**9133.24**	9133.24
(गत वर्ष 1000/– रू0 प्रत्येक के 9,13,324 इक्विटी शेयर)		
ख) वर्ष के आरम्भ में तथा अन्त में बकाया इक्विटी शेयर की संख्या का मिलान		
वर्ष के आरम्भ में बकाया शेयरों की संख्या	**913324**	913324
जोडिएः वर्ष के दौरान आबंटित शेयर की संख्या	**0**	0
वर्ष के अन्त में बकाया शेयरों की संख्या	**913324**	913324
ग) इक्विटी शेयर के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार		
कंपनी के पास 1000/– रू0 प्रति शेयर अधिमूल्य के केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं ।		
प्रत्येक शेयर होल्डर प्रति शेयर एक वोट का हकदार है ।		
घ) 5% से अधिक शेयर पूँजी रखने वाला शेयर धारक		
शेयर धारक का नाम	**भारत सरकार**	भारत सरकार
शेयरों की संख्या	**913324**	913324
स्वामित्व	**100%**	100%
शेयर का प्रत्यक्ष मूल्य	**9133.24**	9133.24

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
नोट सं0 2: प्रारक्षित एवं अधिशेष		
सामान्य प्रारक्षित		
लाभ एवं हानि लेखा में प्रारम्भिक शेष	**123.22**	46.41
घटाइए: गत वर्ष एम.ए.टी/मूल्यह्रास	**(83.90)**	(82.91)
जोडिए: चालू वर्ष के अंतरण	**182.80**	159.73
अन्तिम शेष	**222.12**	123.23

नोट नं0 3: दीर्घावधि ऋण

सावधि ऋण:		
अप्रतिभूत		
भारत सरकार	**982.00**	1364.00
जोड़	**982.00**	1364.00

ऋण का ब्यौरा (भारत सरकार की सुनियोजित योजना के अधीन) पाँच समान वार्षिक किस्तों में @ 11.50% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर देय है जिस पर कोई सिक्यूरिटी नहीं दी गई है ।

(रु0 लाख में)

वित्तीय वर्ष	ऋण की रकम	शेष
2009-10	993.00	794.40
2009-10	600.00	480.00
2009-10	900.00	900.00
2012-13	410.00	410.00
2014-15	400.00	400.00
2014-15	1100.00	1100.00
2015-16	-	-
शेष	**4403.00**	**4084.40***

* नोट सं. 3 और 8 में दर्शाई गई है

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक

नोट सं0 4: अन्य दीर्घावधि देयताएं

अन्य		
सुरक्षा जमा/बयाना राशि	**727.73**	529.61
जोड़	**727.73**	529.61

नोट सं0 5: दीर्घावधि प्रावधान

कर्मचारियों के हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए	**6378.29**	6640.78
घटाइए: एच.आई.एल कर्मचारी उपदान ट्रस्ट के लिए अंतरित	**(6,354.88)**	(6,529.55)
छुट्टी वेतन के लिए	**2839.33**	2891.04
जोड़	**2862.74**	3002.27

नोट सं0 6: अल्पावधि ऋण

प्रतिभूत		
बैंक से नकद क्रेडिट (कच्चे माल, निमार्णाधीन कार्य, तैयार माल तथा बही ऋण की एवज में प्रतिभूत)	**8072.19**	5931.32
जोड़	**8072.19**	5931.32

नोट सं0 7: व्यापार देय

व्यापार देय (विविध लेनदार)	**6325.36**	7307.12
जोड़	**6325.36**	7307.12

(रु0 लाख में)

Particulars	AS AT 31.03.2016	AS AT 31.03.2015
नोट सं0 8: अन्य चालू देयताएं		
सरकारी ऋण	**3102.40**	2720.40
उपार्जित ब्याज तथा सरकारी ऋण पर देय	**1417.33**	948.25
उपार्जित ब्याज परन्तु सरकारी ऋण पर देय नहीं	**136.60**	137.45
ग्राहकों से अग्रिम	**383.29**	440.38
एलआईसी प्रीमियम देय	**2.39**	2.55
कमीशन देय	**146.25**	83.88
अदत्त वेतन एवं मजदूरी	**14.34**	15.30
बकाया देयताएं	**2135.74**	2553.16
सांविधिक देयताएं		
ईएसआई देय	**0.94**	0.65
भविष्य निधि देय	**40.49**	38.22
देय वेतन पर टीडीएस	**16.99**	27.96
देय वेतन के अलावा अन्य पर टीडीएस	**25.16**	10.23
सीएसटी देय	**218.25**	219.02
वैट देय	**15.80**	19.83
उत्पाद शुल्क देय	**135.48**	127.79
एस.बी.सी देय	**0.81**	0.00
कार्य संविदा देय	**0.09**	0.00
सेवा कर देय	**0.52**	1.12
जोड़	**7792.87**	7346.19

प्रति वर्ष बकाया ऋण और उस पर ब्याज (रू0. करोड़ में):

वर्ष	मूलधन	ब्याज	जोड़
2011-12	4.99	1.04	6.03
2012-13	4.99	2.50	7.49
2013-14	5.80	2.97	8.77
2014-15	5.80	2.97	8.77
2015-16	5.62	4.70	10.32
जोड़	27.20	14.18	41.38

नोट सं0 9: दीर्घावधि प्रावधान		
कर्मचारियों के हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए	**125.02**	174.08
छुट्टी वेतन के लिए	**775.98**	795.18
बोनस के लिए	**0.21**	0.07
अन्य प्रावधान		
कराधान के लिए	**6.96**	4.67
जोड़	**908.17**	974.00

नोट सं. 10: स्थिर परिसम्पत्तियां–ठोस

वर्ष के आरम्भ तथा अन्त में सकल अग्रेनीत राशि तथा निवल अग्रेनीत राशि का समाधान

(रु0 लाख में)

	सकल अग्रेनीत राशि				संचित मूल्यह्रास					संचित हानि				निवल अग्रेनीत राशि	
विवरण	**1 अप्रैल, 2015 तक**	**वर्ष के दौरान अभिवृद्धि समायोजन**	**वर्ष के दौरान कटौती**	**31 मार्च, 2016 तक**	**1 अप्रैल, 2015 तक**	**वर्ष के दौरान दिया गया**	**पूर्व वर्ष आय/खर्च अन्य**	**वर्ष के दौरान कटौती**	**31 मार्च, 2016 तक**	**31 मार्च, 2015 तक**	**वर्ष के दौरान परिवर्तित**	**वर्ष के दौरान दिया गया**	**31 मार्च, 2016 तक**	**31 मार्च, 2016 तक**	**31 मार्च, 2015 तक**
1. भूमि – अपना	197.57	234.09	0	431.66	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	431.66	197.57
2. भूमि – पट्टे पर	267.1	0	264.15	2.94	41.39	0.03	0.00	39.48	1.94	0	0	0	0	1.00	225.71
3. भवन	2457.97	209.41	0	2667.38	1121.54	60.81	-4.41	0	1177.94	0	0	0	0	1489.44	1336.43
4. संयंत्र एवं उपस्कर	11040.78	411.11	0.66	11451.23	8748.30	399.91	-2.64	0.66	9144.91	0	0	0	0	2306.32	2292.48
5. फर्नीचर एवं फिक्सर	90.04	0.2	0.06	90.18	74.96	2.70	0.00	0.06	77.60	0	0	0	0	12.58	15.08
6. गाडिआँ	68.31	0	0	68.31	44.49	6.29	0.00	0	50.78	0	0	0	0	17.53	23.82
7. कार्यालय उपस्कर	418.08	11.32	0.00	429.40	298.90	22.53	-0.09	0.00	321.34	0	0	0	0	108.06	119.18
8. कम्प्यूटर	125.29	15.07	0	140.36	110.63	9.33	1.01	0.00	120.97	0	0	0	0	19.39	14.66
9. अन्य	23.79	0	0.03	23.76	13.73	3.50	0.04	0.03	17.24	0	0	0	0	6.52	10.06
कुल	**14688.93**	**881.20**	**264.90**	**15305.22**	**10453.94**	**505.10**	**-6.09**	**40.23**	**10912.72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4392.50**	**4234.99**
पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	940.05	796.24	600.43	1135.86	0	0		0	0.00					1135.86	940.05
कुल जोड़	**15628.98**	**1677.44**	**865.33**	**16441.08**	**10453.94**	**505.10**	**-6.09**	**40.23**	**10912.72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5528.36**	**5175.04**
गत वर्ष	15106.30	1970.47	1447.81	15628.96	9913.31	502.35	82.91	44.65	10453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5175.04	

मूल्यह्रास निम्नानुसार प्रभारित किया गया:

(क) लाभ एवं हानि लेखा	495.85
(ख) पूँजीगत परियोजना समायोजन	9.25
कुल जोड़	**505.10**

नोट सं. 11: स्थिर परिसम्पत्तियां–अमूर्त

वर्ष के आरम्भ तथा अन्त में सकल अग्रेनित राशि तथा निवल अग्रेनित राशि का समाधान

(रु0 लाख में)

	सकल अग्रेनित राशि				संचित मूल्यह्रास					संचित हानि				निवल अग्रेनीत राशि	
विवरण	**31 मार्च, 2015 तक**	**वर्ष के दौरान अभिवृद्धि समायोजन**	**वर्ष के दौरान कटौती**	**31 मार्च, 2016 तक**	**31 मार्च, 2015 तक**	**वर्ष के दौरान दिया गया**	**वर्ष के दौरान समायोजन**	**वर्ष के दौरान कटौती**	**31 मार्च, 2016 तक**	**31 मार्च, 2015 तक**	**वर्ष के दौरान परिवर्तित**	**वर्ष के दौरान दिया गया**	**31 मार्च, 2016 तक**	**31 मार्च, 2016 तक**	**31 मार्च, 2015 तक**
1. गुडविल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ब्रांड/ट्रेड मार्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. मस्तूल शिखर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. खनन अधिकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. प्रतिलिप्याधिकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. एकस्वकृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
नोट सं0 12: गैर वर्तमान निवेश		
इक्विटी शेयरों में निवेश (अनुद्धत)		
क) केरल इन्वीरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कोचीन में प्रति शेयर 10/– रू0 के 50,000/– इक्विटी शेयर	**5.00**	5.00
ख) 100 रू0 प्रति के 100 इक्विटी शेयर		
–एच.आई.एल कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, उद्योगमंडल	**0.10**	0.10
–एच.आई.एल उपभोक्ता सहकारी स्टोर लिमिटेड, उद्योगमंडल	**0.10**	0.10
जोड़	**5.20**	5.20
नोट सं0 13: दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत जमा		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**155.24**	136.92
संदिग्ध	**0.00**	0.00
घटाइए: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.00**	0.00
जोड़	**155.24**	136.92
अन्य ऋण और अग्रिम		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**506.58**	510.49
संदिग्ध	**67.20**	62.89
घटाइए: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**(67.20)**	(62.89)
जोड़	**506.58**	510.49
कुल जोड़	**661.82**	647.41

तीन वर्षों से अधिक बकाया ऋण एवं अग्रिम के लिए कोई प्रावधान नहीं है जिसकी राशि 455.23 लाख रु0 है (गत वर्ष 404.67 लाख रु0)।

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक

नोट सं0 14: अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियॉ

A	<u>**दीर्घावधि प्राप्य व्यापार**</u>		
	प्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
	संदिग्ध	**0.00**	0.00
	घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.00**	0.00
	कुल	**0.00**	0.00
B	**अन्य**		
	प्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**109.00**	122.18
	संदिग्ध	**64.44**	64.52
	घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**(64.44)**	(64.52)
	जोड़	**109.00**	122.18
	कुल जोड़	**109.00**	122.18

नोट सं0 15: वर्तमान निवेश

क)	इक्विटी में निवेश	**0.00**	0.00
ख)	अधिमान शेयरों में निवेश	**0.00**	0.00
ग)	सरकार अथवा ट्रस्ट प्रतिभूतियों में निवेश	**0.00**	0.00
घ)	डिबेंचर अथवा बॉण्ड्स में निवेश	**0.00**	0.00
ड़)	अन्य निवेश	**0.00**	0.00
	जोड	**0.00**	0.00

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
नोट सं0 16: वस्तुसूचियाँ		
क. **कच्ची सामग्री**		
स्टॉक में	**1966.95**	2924.70
ख. **निर्माणाधीन**		
स्टॉक में	**1180.26**	2546.60
ग. **तैयार माल**		
स्टॉक में	**3665.92**	4040.02
मार्गस्थ	**0.00**	0.00
उपोत्पाद	**0.00**	0.21
अविक्रेय स्टॉक के लिए प्रावधान	**(278.06)**	(239.41)
घ. **भण्डार एवं अतिरिक्त**		
स्टॉक में	**737.24**	835.07
मार्गस्थ	**0.00**	2.75
ड़. **खुले औजार**		
स्टॉक में	**1.26**	1.33
च. **पैकिंग सामग्री**		
स्टॉक में	**674.82**	683.73
छ. **ईंधन**		
स्टॉक में	**38.98**	52.28
जोड़	**7987.37**	10847.28

270.37 लाख रू0 के भण्डारण एवं अतिरिक्त पुर्जे (गत वर्ष 270.70 लाख रू0) तथा 153.71 लाख रू0 का कच्चा माल तथा पैकिंग सामग्री (गत वर्ष 150.09 लाख रू0) तीन वर्षों से अधिक अवधि से सक्रिय नहीं हैं, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं, चूँकि इन्हें सेवा योग्य/प्रयोग योग्य समझा गया है ।

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक

नोट सं0 17: व्यापार प्राप्य

क. भुगतान के लिए देय तिथि से छः माह से अधिक बकाया प्राप्य व्यापार		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**8697.22**	7701.09
संदिग्ध	**55.18**	55.18
घटाइए: अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**(55.18)**	(55.18)
जोड़ (क)	**8697.22**	7701.09
ख. प्राप्य व्यापार (अन्य)		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**11326.94**	8557.21
संदिग्ध	**0.00**	0.00
घटाइए: अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**0.00**	0.00
घटाइए: विविध देनदारियों के लिए आरक्षित–इण्डोसल्फॉन बिक्री	**0.00**	0.00
जोड़ (ख)	**11326.94**	8557.21
जोड़ (क)+(ख)	**20024.16**	16258.30

तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया विविध देनदारों जो 2945.44 लाख रू0 है (गत वर्ष 2452.53 रू0) के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है ।

विविध देनदारों में एक 12.95 लाख रू0 की रकम, जो एक देनदार से देय है, सम्मिलित है, उसने एक याचिका दायर कर रखी है कि वह दिवालिया है । कंपनी द्वारा याचिका पर दावा किया गया है । विविध देनदारों में एक कंपनी भी सम्मिलित है, जिसे बी आई एफ आर को भेजा हुआ है, जिसका बकाया 9.18 लाख रू0 है ।

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
नोट सं0 18: नकद एवं नकद समतुल्य		
क बैंक के पास शेष		
I किसी विशेष उद्देश्य के लिए बैंक शेष		
चालू खाते/बचत खाते में	**545.25**	725.96
II मार्जिन धन अथवा प्रतिभूति की एवज में रखा गया बैंक शेषः		
क) ऋण	**0.00**	0.00
ख) गारंटी	**23.21**	21.56
ग) अन्य प्रतिबद्धताएं	**0.00**	0.00
III एफडीआर (लियन अधीन)	**0.00**	1.33
ख पास में चैक, डिमांड ड्राफ्ट		
पास में चैक	**0.00**	0.00
पास में डिमांड ड्राफ्ट	**283.11**	0.00
ग पास में नकद	**4.85**	2.70
घ अन्य (स्टाम्पस/अग्रदाय)	**0.04**	0.06
जोड़	**856.46**	751.61
नोट सं0 19: अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**223.60**	15.91
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**495.27**	608.15
संदिग्ध	**3.00**	3.00
घटाइएः अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**(3.00)**	(3.00)
जोड़	**718.87**	**624.06**
नोट सं0 20: अन्य वर्तमान परिसम्पतियॉं		
उपार्जित ब्याज एवं जमा/अग्रिम पर देय	**1.49**	5.16
पूर्वदत्त व्यय	**6.42**	32.04
सरकार/आईपीएफटी/रेनपेप/अन्यों से वसूलनीय राशि	**438.61**	498.45
प्रतिभूति एवं अन्य जमा	**36.43**	27.80
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**510.55**	532.32
राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष		
अग्रिम कर	**141.46**	206.22
सेवा कर/प्राप्य टी डी एस/शुल्क और करों	**26.03**	3.72
घटाइएः प्रावधान	**(25.81)**	(25.81)
जोड़	**1135.18**	**1279.90**

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक

नोट सं0 21: राजस्व बिक्री

प्रचालनों से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	**33474.68**	33990.95
घटाइए: उत्पाद शुल्क	**(1444.31)**	(1948.41)
जोड़	**32030.37**	32042.54

वर्ष 2015–16 के लेखों में अपनाई गई मूल्य भिन्नता अनन्तिम मूल्यों से अधिक है, जिन मूल्यों पर बिक्री में एनवीबीडीसीपी को 5114.81 लाख रू0 की आपूर्ति की गई है।

नोट सं0 22: अन्य आय

ब्याज		
बैंक से	**0.96**	1.63
स्टाफ एवं अन्य से	**12.14**	18.48
विदेशी मुद्रा का अंतर	**0.80**	0.00
किराया	**4.59**	6.40
निर्यात लाभ	**59.81**	131.10
प्रयोगात्मक कृषि उत्पादन आय	**4.35**	3.77
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.69**	0.00
संदिग्ध ऋण दावे एवं अन्य वसूलियां/प्रतिलेखित किए गए	**8.48**	0.99
विविध राशि समायोजित	**5.73**	0.10
विविध आय	**186.83**	213.31
जोड़	**284.38**	375.78

नोट सं0 23: खपत की गई कच्ची सामग्री की कीमत

प्रारम्भिक स्टॉक	**2924.70**	1791.37
खरीद	**9825.88**	16052.92
कुल	**12750.58**	17844.29
बिक्री/समायोजन	**62.86**	468.24
घटाइए:अन्य विभागों में खपत	**(53.62)**	(60.62)
	12634.09	17315.43
घटाइए: अंतिम स्टॉक	**(1966.95)**	(2924.70)
जोड़	**10667.14**	14390.73

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
नोट सं0 24: वस्तुसूचियों में बदलाव		
आरंभिक स्टॉक		
तैयार उत्पाद	**4040.02**	2423.42
उपोत्पाद	**0.21**	0.26
निर्माणाधीन कार्य	**2546.60**	1488.03
	6586.83	3911.71
अन्तिम स्टॉक		
तैयार उत्पाद	**3665.92**	4040.02
उपोत्पाद	**0.01**	0.21
निर्माणाधीन कार्य	**1180.26**	2546.60
	4846.19	6586.83
वृद्धि(–)/कमी.(+)	**1740.64**	(2675.12)
नोट सं0 25: कर्मचारियों के हितलाभ व्यय		
वेतन एवं प्रोत्साहन	**7907.16**	8214.80
भविष्य निधि में अंशदान	**796.80**	809.11
उपदान निधि अंशदान	**163.50**	552.63
स्टाफ कल्याण खर्च	**1452.37**	1459.29
कर्मचारी राज्य बीमा का अंशदान	**6.52**	5.08
एचआईएल कर्मचारी कल्याण निधि को अंशदान	**0.62**	0.61
बोनस	**4.28**	0.07
जोड़	**10331.25**	11041.59
नोट सं0 26: वित्त व्यवस्था लागत		
ब्याज खर्च		
सरकारी ऋण	**428.31**	335.33
अन्य ऋण लागत		
नकद क्रेडिट पर ब्याज	**1063.12**	905.21
अन्य ब्याज	**0.00**	0.00
घटाइए: पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य में सम्मिलित धनराशि	**(227.62)**	(216.37)
जोड़	**1263.81**	1024.17

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
नोट सं0 27: अन्य व्यय		
विर्निमाणन / उत्पादन व्यय		
पुनः पैकिंग एवं फार्मुलेशन प्रभार	**29.28**	27.61
खपत की गई पैकिंग सामग्री	**700.75**	828.72
भण्डार एवं अतिरिक्त खपत	**18.88**	50.86
आन्तरिक ढुलाई	**58.99**	82.62
ऊर्जा, ईंधन और पानी	**1578.33**	2352.69
अनुसंधान एवं विकास एवं प्रयोगशाला व्यय	**27.61**	29.30
अन्य कार्य / फुटकर कार्य व्यय	**227.60**	324.89
आरम्भिक और अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क का अंतर	**15.99**	95.21
बीज विकासाधीन	**1810.78**	1330.24
मरम्मत एवं रखरखाव		
मशीनरी एवं संयत्र पर	**328.94**	425.32
भवन	**175.08**	164.28
अन्य पर	**53.28**	47.92
बिक्री एवं प्रशासनिक व्यय		
किराया	**80.87**	75.60
दरें और कर	**99.35**	54.67
बीमा	**60.28**	48.86
सी एस आर व्यय	**19.60**	17.77
स्वच्छ भारत उपकर	**1.35**	0.00
बिजली एवं पानी प्रभार	**28.84**	23.45
विज्ञापन	**46.51**	54.01
प्रचार–प्रसार	**32.56**	25.30
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	**23.98**	21.41
डाक, टेलीफान एवं ई–मेल व्यय	**32.25**	33.71
यात्रा खर्च		
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	**2.00**	3.16
निदेशक	**6.43**	3.62
अन्य	**161.20**	174.72
गाड़ी चलाने तथा रख–रखाव पर व्यय	**17.43**	19.85
कानूनी तथा पेशेवर प्रभार	**104.81**	76.26
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा परीक्षक	**3.45**	3.45
कराधान मामलों के लिए	**1.73**	1.73
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.68**	0.50
सीआईएसएफ / सुरक्षा खर्च	**231.54**	228.52
स्टाफ को प्रशिक्षण देने पर खर्च	**10.47**	8.00
भर्ती पर खर्च	**14.15**	9.46
गेस्ट हाउस के लिए खर्च	**10.36**	12.00

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
फाइलिंग शुल्क	**8.87**	8.95
टाउनशिप/भूमि रख–रखाव खर्च	**43.23**	49.45
अभिदान और सदस्यता शुल्क	**8.38**	7.07
समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाएं	**1.14**	1.17
बैंक प्रभार	**54.41**	51.26
विदेशी मुद्रा अन्तर (निवल)	**(0.61)**	17.03
भाड़ा ढुलाई एवं रख–रखाव व्यय	**729.40**	744.24
विविध व्यय	**95.77**	96.11
मनोरंजन व्यय	**23.83**	24.13
बिक्री पर नकद छूट/कटौती	**118.56**	194.85
कमीशन	**145.22**	48.36
बिक्री पर हानि/बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियॉ	**0.00**	10.67
संदिग्ध ऋण/दावों के लिए प्रावधान	**17.13**	15.55
कालावधि समाप्त स्टॉक के लिए प्रावधान	**38.65**	88.94
कंप्यूटर व्यय	**10.05**	9.87
विविध राशि बट्टेखाते में डाली गई	**0.07**	0.02
विलम्ब शुल्क	**0.00**	0.01
जोड़	**7309.45**	8023.39

नोट सं0 28: असाधारण मदें

असाधारण मदें		
अन्य आय	**84.81**	0.00
सामग्री	**22.41**	0.59
बिक्री एवं प्रशासनिक व्यय	**29.25**	0.00
कर	**144.50**	0.35
ब्याज	**1.93**	2.19
अन्य	**22.16**	0.00
जोड़	**305.06**	3.13
असाधारण आय		
सामग्री	**0.93**	69.47
कार्मिक	**0.00**	5.47
बिक्री एवं प्रशासनिक व्यय	**17.60**	1.94
कर	**3.04**	17.86
ब्याज	**0.00**	0.51
अन्य	**7.56**	0.00
जोड़	**29.13**	95.25
निवल	**(275.93)**	92.12

29) आकस्मिक देयताएं तथा वचनबद्धताएं (जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

विवरण	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2015 तक
क) आकस्मिक देयताएं		
क) कंपनी पर ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	16,20,50,414	10,88,45,967
ख) अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन संशोधन बकाया (1.1.2007 / 1.04.2007 से 27.04.2011 तक)	13,45,50,241	16,89,68,699
ख) वचनबद्धताऐं		
क) संविदाओं की अनुमानित राशि, जो पूंजीगत लेखे पर लिखनी हैं तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	26,00,084	1,66,39,965
ख) एसपीसीएल के पक्ष में दी गई काउंटर गारंटी	75,18,89,000	66,68,64,000
ग) अन्य	7,36,63,899	6,86,42,444
जोड़ (क + ख)	112,47,53,638	102,99,61,075

30) यदि वित्तीय संस्थानों द्वारा सदर्न पेस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि0 मामले में दी गई काउंटर गारंटी (जिसे आकस्मिक देनदारी के रूप में दर्शाया गया है) की मांग की जाती है तो आर्थिक मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 06 को किए गए अनुमोदन के अनुसार भारत सरकार सहायता प्रदान करेगी।

31) भारत सरकार के अनुमोदन से वेतनमान लागू हो गए हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 1.1.2007 / 1.4.2007 से 27.4.2011 तक का बकाया सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् तभी देय होगा, जब कंपनी सरकार को संतुष्टिकरण के लिए उत्पादक तथा लाभप्रदत्ता में सुधार के माध्यम से पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करेगी।

32) कुछ विविध देनदारों, विविध लेनदारों तथा ऋण व अग्रिम के शेष की संपुष्टि / मिलान समायोजन किया जाना है।

33) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :

मुख्य प्रबन्धन कार्मिकः

क) श्री एस.पी. मोहन्ती, निदेशक (विपणन) (15.9.2015 से)

ख) श्री के. हरिकुमार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (31.12.2015 तक)

ग) श्री आर.आर. शर्मा, निदेशक (विपणन) (31.8.2015 तक)

घ) श्री वी. सेखर, निदेशक (वित्त) (29.2.2016 तक)

ङ) श्री रूपेन्द्र धीमान, कंपनी सचिव

संबंधित पार्टियो से लेन–देन निम्नानुसार हैः–

नाम	लेन–देन की प्रकृति	राशि (रू0)
श्री एस.पी मोहन्ती	पारिश्रमिक	10,62,706 / –
श्री के. हरिकुमार	पारिश्रमिक	43,19,504 / –
श्री आर.आर. शर्मा	पारिश्रमिक	33,98,836 / –
श्री वी. सेखर	पारिश्रमिक	29,32,608 / –
श्री रूपेन्द्र धीमान	पारिश्रमिक	9,23,073 / –

34) (क) 31.03.2008 तक सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि0 (एस.पी.सी.एल) की इक्विटी पूँजी 496.66 लाख रूपये (प्रत्येक 1,000/– रूपये मूल्य के 49,666 शेयर) हैं। एस.पी.सी.एल का मामला बीआईएफआर को सौंप दिया गया था तथा बीआईएफआर ने एस.पी.सी.एल परिसमाप्त करने का नोटिस जारी कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश ने एस.पी. सी.एल को दिनांक 2 अप्रैल, 2002 से बन्द करने का ओदश जारी कर दिया है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ सरकारी परिसमापक को सौंप दी गई हैं। चूँकि निवेश, विविध देनदारों तथा ऋण व अग्रिम से किसी प्रकार का प्रतिफल/भुगतान प्राप्त होना संदेहास्पद है, अतः वर्ष 2009–10 में निवेश और विविध देनदारों तथा ऋण व अग्रिम से संबद्ध संपूर्ण राशि को अपलिखित किया गया है।

(ख) चूँकि सहायक कंपनी एस.पी.सी.एल के परिसमापक की प्रक्रिया जारी है तथा इसकी सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ सरकारी परिसमापक को सौंप दी गई हैं, अतः इसे प्रचालित किए जाने की संभावना नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इस कंपनी द्वारा अपना कोष अपनी मूल कंपनी अर्थात एच.आई.एल को वापस करने के मार्ग में बड़ी बाधा है। तद्नुसार, लेखांकन मानक – 21 के अनुसार एस.पी.सी.एल के लेखे को कंपनी के लेखे के साथ समेकित नहीं किया जा रहा है।

35) टाउनशिप (पट्टाधारित) में से 2,158 वर्ग गज जमीन दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिगृहित कर ली गई है। कंपनी ने इस मामले में 4.32 लाख रूपए का दावा किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' नहीं मिल पाने के कारण दावे का निपटारा नहीं किया जा सका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' जारी करने के लिए अन्तरण लेवी (महसूस) शुल्क के रूप में 1.10 लाख रूपए की मांग की है। इस मामले का निपटारा हो जाने के बाद लेखे में समायोजन कर दिया जाएगा।

36) वित्तीय वर्ष 2011–12 (निर्धारण वर्ष 2012–13) तक के आय कर निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया है। कुछ निर्धारण के संबंध में कंपनी ने अपील कर दी है। इस अपील के निपटान के कारण देय किसी आकस्मिक देनदारी तथा जुर्माने, यदि कोई हो, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

37) कंपनी एक खण्ड अर्थात कृषि उत्पादों, कीटनाशकों और उर्वरकों का कारोबार कर रही है। लेखांकन मानक एएस–17 के अन्तर्गत खण्ड रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

38) दिनांक 31.03.2016 तक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, जिनका कंपनी पर 1 लाख रू0 से अधिक ऐसा ऋण, जो 30 दिनों से अधिक का बकाया है, शून्य हैं।

39) लेखांकन मानक–28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है, क्योंकि परिसम्पत्तियों के बही मूल्य के अनुसार परिसम्पत्तियों के प्रयोग या निपटान से वसूलनीय राशि अधिक नहीं होती है।

40) वर्ष 2011–12 और 2012–13 के लिए एन.वी.बी.डी.सी.पी को आपूर्ति की गई डी.डी.टी की कीमत पहले अनुशंसित लागत और लेखा शाखा (सी.ए.बी) द्वारा वर्ष के दौरान संशोधित की गई थी। तथापि, संशोधित कीमत सचिव (व्यय) के नेतृत्व में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर निश्चित नहीं की गई हैं। इस संदर्भ में सुधारात्मक कार्रवाई भारत सरकार के अधीन है। तदनुसार 4.77 करोड़ रूपये, 2.72 करोड़ रूपये, 9.64 करोड़ रूपये और 12.96 करोड़ रूपये का समायोजन क्रमशः वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिए अपनाई गई कीमत का समायोजन नहीं किया गया है।

41) लेखांकन मानक–15 (आर) के अनुसार प्रकटीकरणः–

लेखांकन नीति की श्रृंखला में तथा लेखांकन मानक–15(आर) के अनुसार पोस्ट इम्लायमेंट हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति को लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन–पत्र में निम्नानुसार स्वीकृति दी जाती हैः–

क) तुलन पत्र की तारीख को मूल बीमांकिक धारणा (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

विवरण	उपदान		छुट्टी वेतन	
	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
छूट दर	7.70%	7.80:	7.70%	7.80%
संपूर्ति स्तर में वृद्धि की दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
सुनियोजित परिसम्पत्तियों पर लाभ की दरः	8.45%	9.10%	.....	.....

ख) अवधि के दौरान दायित्व के वर्तमान मूल्य में बदलाव

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
शुरूआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	68,14,86,861	36,86,21,518
अर्जन समायोजन	..	....
ब्याज लागत	5,31,55,975	2,87,52,478
पूर्व सेवा लागत	..	....
वर्तमान सेवा लागत	2,38,54,739	2,88,70,754
संक्षिप्त कार्य लागत/क्रेडिट	..	....
निपटान लागत/ क्रेडिट	..	....
लाभ चुकता (उद्यमों द्वारा)	(89,234)	(6,48,20,354)
लाभ चुकता (निधि से)	(9,78,91,851)	....
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	(1,01,85,717)	1,06,844
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	65,03,30,773	36,15,31,240

ग) अवधि के दौरान योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
अवधि की शुरूआत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	65,29,55,125	..
अर्जन समायोजन	..	..
योजनागत परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	5,94,18,916	..
अंशदान	2,99,50,230	..
लाभ प्रदत्त	(9,78,91,851)	..
योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(89,44,019)	..
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों पर उचित मूल्य	63,54,88,401	..

घ) योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
अवधि की शुरूआत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	65,29,55,125	..
अर्जन समायोजन	..	..
योजनागत परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	5,04,74,897	..
अंशदान	2,99,50,230	..
लाभ प्रदत्त	(9,78,91,851)	..
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों पर उचित मूल्य	63,54,88,401	..
निधिक स्थिति	(1,48,42,372)	(36,15,31,240)
योजनागत परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ की तुलना में वास्तविक की अधिकता	(89,44,019)	..

ङ) अवधि के लिए मान्य बीमांकिक लाभ/हानि

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
अवधि के लिए – आबंध बीमांकिक लाभ/हानि	1,01,85,717	(1,06,844)
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/हानि–योजनागत परिसम्पत्तियाँ	89,44,019	..
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	(12,41,698)	1,06,844
अवधि में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	(12,41,698)	1,06,844
अवधि के अन्त में अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	..	..

च) तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
अवधि के अन्त में आबन्ध का वर्तमान मूल्य	65,03,30,773	36,15,31,240
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	63,54,88,401	..
निधिक स्थिति	(1,48,42,372)	(36,15,31,240)
आमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	..	..
अमान्य पूर्व सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	..	..
तुलन–पत्र में मान्य निवल देयता	1,48,42,372	36,15,31,240

छ) अवधि के लिए लाभ एवं हानि के ब्यौरे में मान्य व्यय

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
वर्तमान सेवा लागत	2,38,54,739	2,88,70,754
पूर्व सेवा लागत	...	..
ब्याज़ लागत	5,31,55,975	2,87,52,478
सुनियोजित परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	(5,94,18,916)	..
कटौती लागत/(क्रेडिट)	...	..
निपटान लागत/(क्रेडिट)	...	..
अवधि में मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(12,41,698)	1,06,844
लाभ एवं हानि के ब्यौरे में मान्य व्यय	1,63,50,100	5,77,30,076

ज) वर्तमान अवधि के लिए राशि

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
आबन्ध का वर्तमान मूल्य	65,03,30,773	36,15,31,240
योजनागत परिसम्पत्तियाँ	63,54,88,401	..
अतिरिक्त(घाटा)	(1,48,42,372)	(36,15,31,240)
योजनागत देयताओं पर आनुभाविक समायोजन– (घाटा)/लाभ	1,26,82,163	10,78,124
योजनागत परिसम्पत्तियों पर आनुभाविक समायोजन– (घाटा)/लाभ	(89,44,019)	..

झ) लाभ एवं हानि विवरण में व्यय का समाधान विवरण

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
अवधि के अन्त में आबन्धों का वर्तमान मूल्य	65,03,30,773	36,15,31,240
अवधि के आरम्भ में आबन्धों का वर्तमान मूल्य	(68,14,86,861)	(36,86,21,518)
प्रदत्त लाभः		
(i) उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया	89,234	6,48,20,354
(ii) निधि से भुगतान किया गया	9,78,94,851	..
योजनागत परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	(5,04,74,897)	..
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	1,63,50,100	5,77,30,076

ञ) तुलन–पत्र में स्वीकृत देयताओं में उतार – चढ़ाव

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
प्रारम्भिक निवल देयताएं	2,85,31,736	36,86,21,518
उपरोक्तानुसार व्यय	1,63,50,100	5,77,30,076
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए लाभ	(89,234)	(6,48,20,354)
निधि में दिया गया अंशदान	(2,99,50,230)	..
अंतिम निवल देयताएं	1,48,42,372	36,15,31,240

ट) योजनागत परिसम्पत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजनागत परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता)

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
भारत सरकार प्रतिभूति	..	..
राज्य सरकार प्रतिभूति	..	..
उच्च गुणवत्ता वाले कारपोरेट बॉण्ड	..	..
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	..	..
संपत्ति	..	..
विशेष जमा योजना	..	..
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	100:	..
बैंक शेष	..	..
सावधि जमा	..	..
अन्य परिसम्पत्तियाँ	..	..

ठ) अन्य विवरण

कर्मचारियों की संख्या	1111
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष
उपदान की राशि की सीमा	10,00,000/– रु0
छुट्टी वेतन की सीमा	300 दिन। जब अर्जित अवकाश (नकद योग्य और गैर नकद योग्य) 300 से कम हो, जितनी छुट्टियाँ कम होगी 300 तक की सीमा पूरी करने के लिए उतनी आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश में से ली जाएगी, बशर्ते कि आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश में पर्याप्त दिन उपलब्ध हों। इस प्रकार की एच.पी.एस.एल मूल्य निर्धारण के लिए आधे वेतन पर ली जाती हैं।

42) आवश्यकता के अनुसार गत वर्ष के आँकडों को पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

1) **लेखांकन की अवधारणा :**

कम्पनी अपने लेखे पूर्वकालिक लागत परम्परा के अन्तर्गत प्रोद्भवन आधार पर तैयार करती है।

2) **अचल परिसम्पत्तियाँ :**

सभी अचल परिसम्पत्तियाँ पूर्वकालिक लागत में से मूल्यह्रास हेतु प्रावधान घटाने के बाद दर्शाई गई है।

3) **निर्माणाधीन परियोजना पर व्ययः**

क) परियोजना के विनिर्माण में कम्पनी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष व्यय पूँजीकृत कर दिया जाता है।

ख) परियोजना के लिए आबंटित दीर्घावधि ऋण पर प्रदत्त ब्याज को पूँजीकृत कर दिया जाता है।

4) **मूल्यह्रासः**

क) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में विहित दरो के अनुसार परिसम्पत्तियों के उपयोग की प्राक्कलित अवधि के आधार पर सरल रेख पद्धति से किया जाता है।

ख) पट्टाधारित भूमि की लागत को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

ग) 5,000 रूपए अथवा इससे कम मूल्य वाली प्रत्येक मद के मामले में पूर्ण मूल्यह्रास हेतु प्रावधान अधिप्राप्ति के वर्ष में किया जाता है।

5) **पूँजी निवेशः**

''दीर्घावधिक श्रेणी'' के निवेश लागत पर किए जाते हैं।

6) **मालसूची का मूल्यांकनः**

क) मालसूची (बीज सहित) का मूल्यांकन न्यून लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

– कच्चे बीज का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

– निर्माणाधीन कार्य का मूल्यांकन अनुमानित लागत पर किया जाता है।

– तैयार माल और व्यापार में स्टॉक का मूल्यांकन न्यूनतम लागत अथवा निवल वसूली मूल्य पर किया जाता है।

– परिवर्तन लागत में उत्पादन की इकाई से प्रत्यक्षतः संबंधित लागत, यथा प्रत्यक्ष श्रम तथा कच्ची सामग्री को तैयार माल में परिवर्तित करने में होने वाले सभी स्थायी एवं परिवर्तनशील ऊपरी व्यय का क्रमबद्ध आबंटन शामिल है।

– तैयार माल की लागत में मालसूची के रूप में रखे गए उत्पाद शुल्क योग्य तैयार माल पर प्रदत्त/देय उत्पाद शुल्क शामिल हैं; जिन मामलों में अंतिम मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता उन मामलों में ऐसी देनदारी पर अनन्तिम/ज्ञात बिक्री मूल्य के आधार पर विचार किया जाता है।

ख) भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों, खुले औजारों, पैकिंग सामग्री और अन्य माल सूचियां का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

ग) लागत भारित औसत लागत पर आधारित है।

7) **अनावश्यक/क्षतिग्रस्त उपस्कर सामग्रीः**

अनावश्यक/क्षतिग्रस्त उपस्कर/सामग्री पर लाभ/हानि का लेखांकन ऐसे उपस्कर/ऐसी सामग्री के निपटान के वर्ष में किया जाता है।

8) **सेवानिवृत्ति लाभः**

कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित देनदारियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है :

क) मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर उपदान; और

ख) संचित अवकाश

9) **अनुदान सहायताः**

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को संबंधित व्यय से काट लिया जाता है।

10) **बीज आर्थिक सहायताः**

वर्ष के दौरान, भारत सरकार की वार्षिक कार्य योजना के आधार पर लेखांकन किया गया।

11) **आस्थगित राजस्व व्ययः**

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देय अनुग्रह/क्षतिपूर्ति राशि पर होने वाला व्यय (यदि कोई अनुदान सहायता मिली हो तो उसे छोड़कर) भारमुक्ति के वर्ष से पाँच वर्षों की अवधि में समान किस्तों में परिशोधित किया जाता है।

12) **विदेशी मुद्रा लेन–देनः**

क) विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन–देन का लेखांकन लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

ख) अचल परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति के क्रम में उद्भूत देनदारी की वापसी को छोड़कर अन्य मामलों में विदेशी मुद्रा लेन–देन के कारण उद्भूत विनियम अंतर को उस वर्ष की आय व व्यय मान लिया जाता है, जिस वर्ष में वे उद्भूत होते हैं।

13) **अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ**

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ केवल तभी मान्य हैं यदि यह संभव हो कि उन परिसम्पत्तियों से प्राप्त आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे तथा परिसम्पित्तियों की कीमत की विश्वसनीयता का अनुमान लगाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ लागत पर दर्ज की गई हैं तथा लागत में से संचित परिशोधन तथा संचित हानियाँ यदि कोई हैं तो को घटाने के बाद ली गई है।

14) **राजस्व पहचानः**

क) एन.वी.बी.डी.सी.पी (पूर्ववर्ती एन.ए.एम.पी) को की गई आपूर्ति का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा परिकलित व स्वीकृत मूल्यों पर तथा वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा विहित मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

ख) एन.वी.बी.डी.सी.पी (पूर्ववर्ती एन.ए.एम.पी) के लिए उत्पादों के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन उत्पादन की न्यूनतम की लागत अथवा स्वीकृत मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

ग) सी.ए.बी द्वारा निर्धारित अंतिम मूल्य तथा स्वीकृत मूल्यों में अंतर का समायोजन उस वर्ष की बिक्री में किया जाता है जिस वर्ष में मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।

घ) उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर हेतु प्रावधान आपूर्ति के वर्ष में अन्तिम मूल्य (क्रय आदेश के अनुसार) के आधार पर किया जाता है। अनन्तिम मूल्य तथा अंतिम मूल्य में अंतर के कारण उद्भुत उत्पाद शुल्क व बिक्री कर के लिए प्रावधान उस वर्ष में किया जाता है जिस वर्ष में मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।

15) **पुराने ऋण के लिए प्रावधानः**

वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी के लेखों के ऐसे ऋण, जो तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है तथा संदिग्ध और अवसूलनीय हैं, के लिए प्रावधान किया गया है। मुकदमें बाजी/मध्यस्थता के अधीन तर्क संगत ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा ऐसे ऋणों की एवज में वित्तीय वर्ष के अन्त तक कोई वित्तीय देयता अनुमानित नहीं है।

अतिरिक्त सूचनाएं

क) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और निदेशकों को किए गए भुगतान सहित कार्मिकों पर व्यय

क्र.सं.	विवरण	2015-16		2014-15	
		अ.प्र.नि.	निदेशक	अ.प्र.नि.	निदेशक
		(रूपये)		(रूपये)	
1.	वेतन एवं भत्ते	**18,99,791**	**38,27,218**	20,60,223	31,22,440
2.	भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान	**1,90,119**	**3,25,173**	2,36,935	3,30,933
3.	अनुलाभः				
	चिकित्सा	**7,587**	**19,389**	10,116	20,232
	कैंटिन	**16,740**	**42,780**	18,420	36,840
4.	प्रावधान/भुगतानः				
	उपदान	**10,00,000**	**14,37,462**	86,791	1,93,457
	अवकाश नकदीकरण	**12,05,267**	**17,42,128**	2,15,727	2,30,056
	जोड़	**43,19,504**	**73,94,150**	26,28,212	39,33,958

टिप्पणीः भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम ब्यूरो के समय–समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(18)/पीसी/64 दिनांक 20 नवम्बर, 1964 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों को स्टाफ कार का उपयोग करने सहित विहित राशि का भुगतान करने पर निजी उपयोग के लिए प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक की यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

ख). खपत की गई कच्ची सामग्री के संबंध में मात्रात्मक विवरण

मात्राः मी.ट/कि.ली. (रू0 लाख में)

क्र.सं.	वस्तु	2015–16		2014–15	
		चालू वर्ष		गत वर्ष	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
क	**मुख्य कच्ची सामग्री**				
क)	डीडीटी के लिए				
i)	एमसीबी	1780.600	1045.87	3008.298	2590.24
ii)	क्लोरल	863.323	620.86	1536.681	1755.21
iii)	ओलियम	2620.865	269.96	4465.584	435.84
iv)	अन्य	904.656	236.14	964.216	231.98
ख)	अन्य तकनीकी उत्पादों के लिए	1483.363	853.79	1085.075	751.57
ख	साल्वैंट एवं सर्फैक्टेंट	1177.966	664.70	1521.656	993.04
ग	मुख्य आयातित कच्ची सामग्री	198.953	642.34	456.791	1805.55
घ	कृषि उत्पादों के लिए तकनीकी एवं अन्य सामग्री खपत	454.376	947.49	869.969	1530.01
ड	अन्य	2483.797	2982.82	4378.246	3007.14
च	बीज		2403.17		1290.15
	जोड़	**11967.899**	**10667.14**	**18286.516**	**14390.73**

ग कच्ची सामग्री, संघटक एवं अतिरिक्त की खपत का ब्रेक–अप तथा उनकी प्रतिशतता

(रु0 लाख में)

क्र. सं.	मदें	आयातित		स्वदेशी		कुल (रू लाख में)
		(रू लाख में)	प्रतिशतता	(रू लाख में)	प्रतिशतता	
	कच्ची सामग्री	1197.2	11.22	9469.94	88.78	10667.14
		(1944.62)	(12.56	(12446.11)	(87.44)	(14390.73)
	संघटक, भण्डारण और अतिरिक्त पुर्जे	0	0.00	715.66	100.00	715.66
		(0.00)	(0.00)	(755.32)	(100.00)	(755.32)

घ सीआईएफ के आधार पर परिकलित आयात का मूल्य

(रु0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	**2015-16**	2014-15
1	कच्ची सामग्री एवं तैयार माल	**441.28**	3247.88
2	संघटक, अतिरिक्त पुर्जे एवं पूँजीगत सामग्री	**0.00**	0.00
	जोड़	**441.28**	3247.88

ड विदेशी मुद्रा में खर्च

(रु0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	**2015-16**	2014-15
	यात्रा	**3.83**	4.77

च विदेशी मुद्रा में आय

(रु0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	**2015-16**	2014-15
	निर्यात	**2865.58**	3024.74

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिनांक 18.09.1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8(1) एफ–67 के अनुसार टाउनशिप के अनुरक्षण पर खर्च (जैसाकि प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

(रूपये)

क्र.सं.	व्यय मदें	2015-16	2014-15
	कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी एवं अन्य हितलाभ	**735848**	685195
	पट्टा किराया	**253392**	98820
	सम्पदा कर	**413259**	598609
	बिजली पर खर्च	**876529**	898057
	पानी प्रभार	**800544**	789630
	भवन की मरम्मत एवं रख–रखाव	**2717168**	3321923
	अतिथि गृह पर खर्च	**1099006**	559166
	स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	**152637**	157547
	जोड़	**6541599**	7108947

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिनांक 05.03.1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या बीपीई (17)/(एडीवी) (एफ)/69 के अनुसार सामाजिक कार्यों पर खर्च (प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत परन्तु लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

(रूपये)

क्र.सं.	व्यय मदें	2015-16	2014-15
	चिकित्सा सुविधाएं	57894417	61379282
	आर्थिक सहायता प्राप्त परिवहन एवं कैंटीन	17071416	17017081
	सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	462767	2112032
	स्कूल सुविधाओं का अनुरक्षण	389050	603430
	जोड़	**75817650**	81111825

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या बीपीई/जीएल–642/79 बीपीई (आई एण्ड आर) (12(1)78) दिनांक 18.12.1978 के अनुसार प्रचार पर खर्च (प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया परन्तु लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

(रूपये)

क्र.सं.	व्यय मदें	2015-16	2014-15
	बिक्री वर्धन व्यय	4730082	2529910
	जोड़	**4730082**	**2529910**

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार एस एस ए आर एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखापाल एफ आर एनः 004739 एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(आर. धीमान)	**(जी. नाथ)**	**(वी. मुराली)**	**(एस.पी मोहन्ती)**	**(सीए संजय कुमार अग्रवाल)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वि. एवं ले.)	निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
		डीआईएनः00730218	डीआईएनः05336787	सदस्यता सं0 090834

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः29.08.2016

दिनांकः 08.09.2016

सहायक कम्पनी का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार सहायक कम्पनी दि सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का ब्यौरा।

(रु0 हज़ार में)

क्र0सं0	मदें	31.3.2016 तक	31.3.2015 तक
1.	सहायक कम्पनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख	31.3.2016	31.3.2015
2.	उपरोक्त तिथि पर एच.आई.एल द्वारा नियंत्रित किए गए सहायक कम्पनी के शेयर		
	(i) संख्या	प्रत्येक 1000/– रु0 के 49,666	प्रत्येक 1000/– रु0 के 49,666
	(ii) नियंत्रण की सीमा	76%	76%
3.	वित्तीय वर्ष मं जहाँ तक एच.आई.एल का संबंध रहा, के लिए सहायक कम्पनी के लाभ की कुल निवल राशि		
	(i) वर्ष के लिए एच.आई.एल के लेखे में रखी गयी राशि	शून्य	शून्य
	(ii) वर्ष के लिए एच.आई.एल के लेखे में नहीं रखा गया हिसाब	(–)11,34,92	(–)11,34,92
4.	वर्ष के अन्त तक संचित जहाँ तक एच.आई.एल का सहायक कम्पनी से सबंध है लाभ (+)/हानि(–) की कुल निवल राशि		
	(i) वर्ष के लिए एच.आई.एल के लेखे में रख गया हिसाब	शून्य	शून्य
	(ii) वर्ष के लिए एच.आई.एल के लेखे में नहीं रखा गया हिसाब	(–) 32,45,02	(–)32,45,02

उपरोक्त सूचना वर्ष 2001–2002 अके लिए (गत लेखा परीक्षेत लेखा) सहायक कंपनी लेखे पर आधारित है। चूंकि सहायक कंपनी अभी परिसमापक के अधीन है, इसलिए 2015–16 की लेखा उपलब्ध नहीं है।

नोट

नोट

नोट

नोट

अध्यक्षीय भाषण

निदेशकों की रिपोर्ट

वार्षिक लेखा
2015–16

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

समृद्धि हेतु सुरक्षा

PROTECT TO PROSPER

कृषि रसायन

कीटनाशी

- हिलक्रॉन 36 एस एल (मोनोक्रोटोफॉस)
- हिल्फॉल 18.5 ई सी (डाइकोफॉल)
- हिलमाला 50 ई सी (मैलाथियॉन)
- हिलबैन 20 ई सी (क्लोरपाइरिफॉस)
- हिलवॉस 76 ई सी (डाइक्लोरोवॉस)
- हिलफेट 75 एस पी (एसिफेट)
- हिलस्टार 25 डब्ल्यू जी (थियामेथोक्सम 25% डब्ल्यू जी)
- हिल्फॉस प्लस (प्रोफेनो + साइप्र)
- हिलब्लेज 25% एस सी (बुप्रोफेजिन 25% एस सी)
- हिलमिडा 17.8 एस एल (इमिडाक्लोप्रिड)
- हिलसाइप्रिन 10 ई सी (साइप्रमेथ्रिन)
- हिलसाइप्रिन 25 ई सी (साइप्रमेथ्रिन)
- हिलप्रिड 20 एस पी (एसीटेमिप्रिड)
- हिलहन्टर (क्लोरपायरिफॉस 50% + साइप्रमेथ्रिन 5% ई सी)
- हिलजेट (फिप्रोनिल जी आर)
- हिलकार्टेप (कार्टेप 4 जी आर)
- हिलजाफॉस 40 ई सी (ट्राइजोफॉस)
- हिल्फॉस 50 ईसी (प्रोफेनोफॉस)
- हिलकार्टेप 4 जी (कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड)
- हिलाम्बदा 5 ई सी (लाम्बदा - साइहैलोथ्रिन)
- हिलाम्बदा 2.5 ई सी (लाम्बदा - साइहैलोथ्रिन)

खरपतवार नाशी

- हिलपेंडी 30 ई सी (पेन्डीमेथालिन)
- हिलपिक 15 डब्ल्यू पी (क्लोडिनेफॉप)
- हिलफुरॉन 75 डब्ल्यू डी जी (सल्फोसल्फुरॉन)
- हिलटाक्लोर (बुटाक्लोर 50 ई सी)
- हिनाशी-41 एस एल (ग्लाईफोसेट)
- हिल्प्रेटी 50 ई सी (प्रेटीलाक्लोर)

फफूंदी नाशी

- हिलथैन एम- 45 (मैंकोजेब 75 डब्ल्यू पी)
- हिलकॉपर 50 डब्ल्यू पी (कॉपर ऑक्सीक्लोराइड)
- हिलनेट 75 डब्ल्यू पी (थियोफेनेट मिथाइल)
- हिलजिम 50 डब्ल्यू पी (कार्बनडेजिम)
- हिलजॉल 5% ई सी (हैक्साकोनाजोल)
- हिलमिल (मैंकोजेब 64%+मेटालेक्सिल 8%)
- हिलपंच (मैंकोजेब-63%+ कार्बनडेजिम 12%)
- हिलब्लास्ट 75 डब्ल्यू पी (ट्राइसाइक्लोज़ॉल)
- हिलसल्फ 80 डब्ल्यू डी जी (सल्फर 80% डब्ल्यू डी जी)

बीज

- धान
- गेहूं
- चना
- सरसों
- मूंग
- सोयाबीन
- मूंगफली
- हाइब्रिड मक्का

सब्जियों के बीज

- फ्रेंच बीन
- भिंडी
- धनिया
- पालक
- मूली इत्यादि

उर्वरक

- यूरिया
- एस एस पी
- डी ए पी
- एम ओ पी
- एन पी के
- बेनटोनाइट सल्फास

टेक्नीकल्स: मोनोक्रोटोफॉस, डाईकोफॉल, मेलाथियान, एसीफेट, मैंकाजेब, डीडीवीपी, बूप्रोफेजिन, क्लोरोपायरीफॉस...

पेस्टिसाइड्स के सुरक्षित और उचित प्रयोग पर प्रशिक्षण

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर-6, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (भारत), दूरभाष: 011-24361019, 24362100, www.hil.gov.in

समृद्धि हेतु सुरक्षा

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन यू24211डीएल1954जीओआई002377

निगमित /पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय मंजिल, कोर–6, स्कोप काम्पलैक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003
दूरभाषः 24362100, 24361107, फैक्सः 24362116
ई–मेलः hilheadoffice@gmail.com वेबसाइटः www.hil.gov.in

संयंत्र

अलवॉय : उद्योगमंडल, एल्लोर पो.ओ., एरनाकुलम जिला, केरल– 683501
दूरभाषः 0484–2545217, फैक्सः 0484–2545464, ई–मेलःhiludl@dataone.in

रसायनी : रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र–410207, दूरभाषः 02192–250391, फैक्सः 02192–250392
ई–मेलः hilrasayani@bsnl.in

बठिंडा : ए–4, इन्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर, मनसा पटियाला रोड, बठिंडा, पंजाब– 151001
दूरभाष : 0164–6533050, फैक्सः 0164–2430099,
ई–मेलः hilbathinda@gmail.com, hilbpi@gmail.com

अनुसंधान एवं विकास कॉम्पलैक्स

सेक्टर 20, उद्योग विहार, गुडगांव, हरियाणा–122016 दूरभाषः 0124–2341674
इ–मेलः hilrd2009@gmail.com

क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय

अहमदाबाद	hilahd@gmail.com	0792-7682520
बैंगलोर	hilrsobangalore@gmail.com	080-23464343
चण्डीगढ़	rsonorth123@gmail.com	0172-2776263
कोयम्बटूर	hilcbe@gmail.com	0422-2425235
हैदराबाद	hyd2_hilsouth@yahoo.com	0402-3234098
कोलकाता	hileast2015@gmail.com	0332-2367930
नागपुर	hilakl@rediffmail.com	0712-2240664